प्रथम अध्याय

"सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य"

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति–

भारतीय नारी अनेक सामाजिक स्तरों, ऐतिहासिक युगों और राजनीतिक परिस्थितियों से होकर गुजरी हैं। पुरुष शब्द की निर्मित स्त्री, सन्तान और व्यक्ति की समष्टि से मानी गयी है। जैसे मनु का कथन है कि केवल पुरुष कोई वस्तु नहीं है अर्थात् वह अपूर्ण ही रहता है। किन्तु स्त्री, स्वदेह तथा सन्तान ये तीनों मिलकर ही पुरुष पूर्ण होता है। इस प्रकार स्त्री–पुरुष की ''शरीरार्ध'' और ''अर्द्धांगनी'' मानी गई है। जब तक एक मनुष्य भार्या की प्राप्ति नहीं कर लेता था तब तक वह आधा ही कहा जाता था।

प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचारकों ने कहा है कि उसके पूर्व महिलाओं की स्थिति सामूहिक उपभोग के रूप में थी। एक पति एवं एक पत्नी के विचार की स्वीकृति सभ्य समाज की देन है। मानव मूल रूप से समूह में रहा करता था, जहां व्यक्तिगत विवाह का महत्व नहीं था। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पति–पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से यज्ञ करने का उल्लेख है। न केवल संयुक्त अपितु पृथक रूप से भी स्त्रियों द्वारा यज्ञ करने का वर्णन है तथा विदुषी स्त्री को यज्ञ में निमन्त्रित करने तथा यजुर्वेद में पत्नियों के साथ यज्ञ करने का प्रतिपादन है। पूर्वमीमांसा का मत है कि पति–पत्नी दोनों

सम्पत्ति के स्वामी होते हैं। अतः उन्हें संयुक्त रूप से यज्ञ करने चाहिए। पाणिनी (4.1.33) के अनुसार पति के यज्ञ कार्यों में सहयोग देने वाली स्त्री ही पत्नी होती थी।

पंठारी नाथ प्रभु का कथन भी इसकी पुष्टि करता है कि ''जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध था, स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः पुरुषों की स्थिति से असमान नहीं थी। निःसंकोच यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्राचीन सभ्यता की अपेक्षा तथा किसी भी अन्य देश की प्राचीन सभ्यता की अपेक्षा वैदिक काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति ऊँची थी, लेकिन जो महिलाओं का चित्र अंकित किया गया है, वह सभी महिलाओं के लिए सही नहीं है। उच्च शिक्षा का अवसर सीमित संस्था में ही महिलाओं को प्राप्त था। उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति में भेदपरक विकास हुआ, उसका परम्परागत आदर और सम्मान बना रहा तथा उसके प्रति समाज की धारणा पूर्ववत उन्नत बनी रही। शिक्षा के क्षेत्र में उसका स्थान पुरुषों के समकक्ष था।

सूत्रों और स्मृतियों के काल में आकर स्त्रियों की स्थिति और भी दयनीय हो गयी तथा नाना प्रकार के बन्धन और अवरोध लगाये गये। उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और वैयक्तिक सभी स्थितियों पर प्रतिबन्ध लगे। जन्म से मृत्यु तक यह पुरुष के नियन्त्रण में रखने के लिए निर्देशित की गयी है। कन्या, पत्नी और माता जैसी स्थिति में वह क्रमशः पिता, पति और पुत्र द्वारा नियन्त्रित मानी गई है। मनु के

मत में स्त्री के घर के कार्यों में भी तथा याज्ञवल्क्य के अनुसार कहीं भी स्वतन्त्रता नहीं थी। एक आधुनिक स्त्री रमाबाई ने इन व्यवस्थाओं पर कटु व्यंग्य करते हुए लिखा है कि हिन्दू स्त्री केवल एक ही स्थान नरक में स्वाधीन रह सकती है।

उत्तर वैदिक काल से ही नारी की दशा अवनति की ओर अग्रसर होने लगी। उसके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उसे असत्य भाषी और अमृत कहा गया। उसके लिए भविष्यवाणी की गई कि अगर वह पति द्वारा धन देकर क्रय की जाती है तो वह पर पुरुष के साथ घूमती है। उसे पुरुषों के साथ यज्ञ में सोम का भाग लेने से वंचित कर उसकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया। इस प्रकार सामाजिक और धार्मिक अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाये गये जो आगे चलकर और विस्तृत हो गये। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के युग में स्त्री की दशा पूर्णतः पतनोन्मुख हो गयी। स्त्री के साथ भोजन करने वाले पुरुष को ग्रहित आचरण करने वाला व्यक्ति बताया गया।

परम्परागत हिन्दू की भूमिका पर विचार करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है ''हिन्दूओं के सभी धार्मिक एवं व्यावहारिक ग्रन्थों में पति की अपेक्षा पत्नी के आचरण व भूमिका के सम्बन्ध में कहीं अधिक निर्देश मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि पति की तुलना में पत्नी की भूमिका अधिक सुनिश्चित व निर्दिष्ट थी। इस प्रकार पति की अपेक्षा ज्यादातर पत्नी को ही अपने लिये निर्धारित एक बंधे ढांचे का अनुसरण करना पड़ता

था।

आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति :–

पश्चिमी जगत में स्त्रियों को विधान सभा का वोटर होने का अधिकार काफी संघर्ष के बाद मिला है। इंग्लैण्ड में पार्लियामेण्ट का वोटर होने का अधिकार स्त्रियों को लम्बे आन्दोलन के बाद 1918 में पहली बार प्राप्त हुआ और 1928 में सब वयस्क स्त्रियां वोट देने की अधिकारिणी बनी। परन्तु भारत में स्त्रियों को यह अधिकार बड़ी सरलता से आवेदन पत्र देने और प्रस्ताव करने से ही मिल गया है। सन् 1917 में कुछ अंग्रेज राजनीतिज्ञ राजनीतिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आये, उस समय सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में स्त्रियों का एक शिष्ट मण्डल बनाया गया। 1919 की सुधार योजना में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रश्न प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों पर छोड़ दिया गया। 1926 ई0 में सर्वप्रथम मद्रास में स्त्रियां निर्वाचित बनी और दो वर्षों के भीतर अन्य प्रान्तों में भी विधान सभाओं ने स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया। भारत के वर्तमान शासन विधान में सब वयस्क स्त्रियों को वोटर होने का अधिकार है। भारत में यह अधिकार प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को पश्चिमी जगत की स्त्रियों की भांति संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का राज्य था तथा उन्होंने यह अधिकार यहां आसानी से लागू कर दिया।

मध्यकाल में भारत में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। पति को

देवता और पत्नी को दासी माना जाता था, परन्तु 19वीं सदी के मध्य में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और ईसाई मिशनरियों द्वारा स्त्रियों में शिक्षा प्रसार के आन्दोलन से स्त्रियों के उत्थान का आरम्भ हुआ। 1854 में सर चार्ल्स वुड ने अपनी प्रसिद्ध रचनाओं में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। तत्कालीन सुधार आन्दोलनों– ब्राह्मण समाज और आर्य समाज ने इस दिशा में बहुत उत्साह से कार्य किया। 1883 में पहली बार एक स्त्री विश्वविद्यालय की स्नातिका बनी। पण्डित रमाबाई, रूखनाबाई ने तीव्र लोक निन्दा की परवाह न करते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करने तथा स्वतन्त्र पेशा अपनाने का आदर्श स्त्रियों के सामने रखा किन्तु उस समय ऐसी स्त्रियां बहुत कम थीं। स्त्रियों के उत्थान का कार्य प्रधान रूप से पुराणों के द्वारा ही हो रहा था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसकी बैठकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद के भी अधिवेशन होने लगे। इनमें प्रमुख भाग लेने वाले महानुभाव दीवान रघुनाथ राव, श्री महादेव, गोविन्द रानाडे, श्री नरेन्द्रनाथ सेठ, श्री जानकी नाथ घोषाल थे। यह परिषद 1917 ई0 तक प्रतिवर्ष स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक विषयों पर प्रस्ताव पास करके सरकार तथा जनता का ध्यान उन कुरीतियों की ओर आकृष्ट करती रही जिनसे भारतीय स्त्रियों की दशा सोचनीय थी। इसके अतिरिक्त वह स्त्रियों के उत्थान के उपाय का भी निर्देश करती रही। इस परिषद द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर निम्न बातों पर बल दिया गया। स्त्रियों में प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का प्रसार बाल और बेमेल विवाह का विरोध तथा दहेज और बहु–विवाह निषेध,

विधवाओं के सिर मुड़वाने का और सामाजिक समारोहों में वेश्याओं के नाच द्वारा मनोरंजन का विरोध, विधवा विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने से 1912 ई0 से उनके अनेक संगठन बनने लगे। एनी बेसेन्ट ने अपने व्याख्यानों में भारत को जागृत करने के लिए इस बात पर बल दिया कि लड़कियों को अशिक्षा और बाल विवाह से मुक्ति मिलनी चाहिए। स्त्रियां अपने अधिकार के लिए जागरूक होने लगी। सन् 1920 के बाद स्त्रियों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष में बहुत भाग लिया। 1926 में श्रीमती मागरेट कजिन्स ने महिलाओं के भारत व्यापी संगठन का प्रयास किया। फलस्वरूप अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना हुई। यह हमारे देश में शिक्षित महिलाओं का प्रधान संगठन है। और इसने दो शताब्दियों में भारतीय नारियों पर लगे प्रतिबन्धों और कानूनी बाधाओं को हटाने तथा समानाधिकारों की मांग करने में प्रमुख भाग लिया।

स्वतन्त्र भारत में नारियों को समान अधिकार एवं उच्चतम पद प्रदान किये गये हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू एक प्रान्त की पहली महिला गवर्नर थीं। श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित मास्को (1947–49) और वाशिंगटन (1949–52) में भारत की पहली महिला राजदूत थी। भारत में महिलाओं को ये सम्मानस्पद स्थान 1947 में ही प्राप्त हो गया था। हमारे देश के नवीन संविधान में स्त्री–पुरुषों के अधिकारों को समान स्वीकार किया गया है। 1948 में केन्द्रीय सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा (आई0ए0एस0) की गतिविधियों में नारियों को भी बैठने का अधिकार प्रदान कर नौकरी की

दृष्टि से नारी के भेद की समाप्ति कर दी है।

प्राचीन एवं मध्यकाल में स्त्री के पास स्वतन्त्रतापूर्वक जीविकोपार्जन का कोई साधन न था। उस समय विवाह ही सुखमय जीवन यापन करने का एकमात्र सम्मानित उपाय था। अतः सभी स्त्री के लिए विवाह लगभग अनिवार्य था। आजकल स्त्रियों के शिक्षित होने से उनके आर्थिक स्वावलम्बन की क्षमता बढ़ गई है। वे स्वतन्त्र जीविकोपार्जन कर सकती है। अतः अपने निर्वाह के लिए अपने पति पर निर्भर रहने अथवा विवाह करने के लिए पहले जैसी अनिवार्य आवश्यकता नहीं रही। आजकल अधिकांश स्त्रियां अपने पेशे पर खड़े होने के लिए शिक्षा प्राप्त करती है। हाटे के अन्वेषण में 37 प्रतिशत स्त्रियों ने अपनी शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्ति करना माना है।

स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता पश्चिम में पारिवारिक जीवन की स्थिरता कम करने तथा तलाकों की संख्या बढ़ने का एक कारण है। पहले स्त्रियां आर्थिक अवलम्बन प्राप्त करने के लिए विवाह करती थी, पर अब इसके साथ–साथ प्रेम तथा सहानुभूति भी पाने के लिए विवाह करती हैं। पहले प्रेम और सहानुभूति न मिलने पर विवाह विच्छेद की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं, अब जीविका मिलने का विश्वास होते ही स्त्रियां तलाक द्वारा दुःखमय पारिवारिक जीवन से तुरन्त मुक्ति पाने का प्रयत्न करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह से स्वतन्त्र कमाई करने वाली स्त्रियों में 70–80 प्रतिशत विवाह के बाद यह अनुभव करती है कि वे अब पहले

जैसा जीवनस्तर नहीं रख सकती हैं, इस कारण वे वैवाहिक जीवन से मुक्त होने का प्रयत्न करती हैं।

शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। इस कारण शिक्षित स्त्रियां अपना जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता चाहती हैं। पहले कन्या का विवाह लगाना माता–पिता का अधिकार समझा जाता था। परन्तु अब शिक्षित स्त्रियां माता–पिता के इस विशेषाधिकार में हस्तक्षेप करने लगी हैं। हाटे के अध्ययन में 14 प्रतिशत कन्याओं ने यह बताया कि वे अपना जीवन साथी स्वयम् चुनना चाहती हैं।

शिक्षा प्राप्त करने के बाद हिन्दू परिवार में जीविकोपार्जन करने वाली स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। श्रीमती हाटे के अनुसंधान में 152 अथवा 19 प्रतिशत स्त्रियां, शासन, चिकित्सा, अध्यापन, गवेषणा, क्लर्की, नर्सिंग आदि का कार्य कर रही थी। इनमें 102 अथवा 61 प्रतिशत को यह कार्य अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए लाचारी में करना पड़ रहा था। पांच स्त्रियां ऐसी थी, जो घर में खाली बैठने से बचने के लिए नौकरी कर रही थी। काम करने वाली में केवल एक स्त्री का लक्ष्य आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करना था। अतः स्पष्ट है कि मध्यमवर्गीय हिन्दू परिवार में स्त्रियां लाचारी में जीवन निर्वाह के लिए घर से बाहर काम करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अधिकांश स्त्रियों के काम करने का यही कारण है।

इधर कुछ वर्षों में कामकाजी महिलाओं पर बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन

हुए हैं। ये अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से किये गये हैं। कुछ अध्ययन बदलते हुए आर्थिक दृष्टिकोणों के कारण महिलाआं को श्रम बाजार में आने पर किये गये हैं तथा कुछ अध्ययन महिलाओं को कार्य करने की प्रेरणा से भी सम्बन्धित है। कुछ अध्ययनकर्ताओं ने कामकाजी माताओं के ऊपर भी अध्ययन किया है। कुछ शोधकर्ताओं ने पति और कामकाजी पत्नी के घरेलू काम के बंटवारे पर अध्ययन किया। उन्होंने कार्योजित महिलाओं व्यवसाय का वैवाहिक स्थिति तथा उनके बच्चों के ऊपर उसके प्रभावों का भी परीक्षण किया है। कुछ शोधकर्ताओं ने अद्वितीय व्यावसायिक सफलता को उनके वैवाहिक जीवन के प्रति खतरनाक दर्शाया है। कुछ लेखकों ने महिलाओं की दो भूमिकाओं का अध्ययन किया है। और उनके भूमिका द्वन्द्व के कारणों और परिस्थितियों का विचेचन किया है।

भारतीय अध्ययन :–

लगभग 50 वर्षों में भारत में जो भारी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनसे यहां भी पूरी आबादी प्रभावित हुई है। शहरों में रहने वाले मध्यमवर्गीय लोगों के बीच इन परिवर्तनों ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित किया है। खासकर स्वतन्त्रता के बाद की बदली हुई सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है और इन हालतों के फलस्वरूप इनके लिए अपनी समानता की अभिव्यक्ति और उनकी प्रतिष्ठा के नये रास्ते खुल गये हैं। इस बात की पूरी सम्भावना है कि उन्हें जो नई राजनीतिक कानूनी

सुविधाएं दी गयी हैं। अधिकांश आर्थिक प्रणालियों में स्त्रियों से काम लिया जा रहा है। बल्कि शायद उनसे काम लेने की जरूरत महसूस की जा रही है और लगभग सभी प्रणालियों में वे अपना जीवन यापन के लिए और मनुष्य के नाते तथा समाज का सदस्य होने के नाते अपने सन्तोष के लिए काम करती हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ ही स्त्रियों की भूमिका ज्यादा वास्तविक और सुस्पष्ट हो गयी है। उनेक काम अपने पति के कामों से भिन्न होने पर भी किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं।

भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है और यहां कि स्त्रियों का अपने घरों से बाहर काम करना कोई नई चीज नहीं है क्योंकि वे खेतों में अपने पति के साथ काम करती रही हैं। आर्थिक रूप से समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की स्त्रियां भी बहुत लम्बे समय से फैक्ट्रियों में, घरेलू नौकरानियों के रूप में और अकुशल मजदूरों के रूप में काम करती रही हैं। किन्तु आजकल वर्तमान समय में उच्च परिवारों तथा मध्यमवर्गीय परिवारों की स्त्रियां घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक स्तर तथा सामाजिक जीवन स्तर को उच्च करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यों में लीन हो गयी हैं। विशेष रूप से इन वर्गों की विवाहित स्त्रियों का घरों के बाहर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नौकरी करने का चलन।

सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से यह बात बहुत महत्व रखती है कि

मध्यम वर्ग की शिक्षित स्त्रियां घरों के बाहर लाभप्रद नौकरियां करने लगी हैं। सामाजिक परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने के लिए समाज में हो रहे उन परिवर्तनों की ओर ध्यान देना जरूरी है जो स्त्रियों की शिक्षा और नौकरी के फलस्वरूप आ रहे हैं जैसा कि हावहाऊस ने कहा है ''स्त्रियों की शिक्षा और समाज में उनकी स्थिति समाज की प्रगति का असन्दिग्ध सूचक है।''

मार्क्स ने कहा था कि ''स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक–ठाक नापा जा सकता है।'' कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि किसी समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उससे उस समाज के विकास को सही–सही नापा जा सकता है। शहरों की शिक्षित कामकाजी स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना जरूरी है क्योंकि उन्हीं के जरिये बदले हुए भारतीय स्त्री समाज के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। बारबरा वार्ड ने अपने एक अनुशीलन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि भारत में कामकाजी स्त्रियां या तो समाज में बहुत गरीब वर्गों की हैं या फिर बहुत धनी वर्गों की हैं। उनके अध्ययन के अनुसार– जो बहुत गरीब वर्गों की है ऐसी स्त्रियां आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से काम करती हैं। जबकि बहुत अमीर स्त्रियां अपनी बौद्धिक भूख मिटाने के लिए और आत्म सन्तोष के लिए काम करती हैं। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए लगता है कि पिछले लगभग तीन दशकों में मध्यमवर्ग की कामकाजी स्त्रियों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व और उसके कुछ समय बाद तक भी मध्यमवर्ग और उच्च

वर्ग की स्त्रियां ज्यादातर अपने घरों की चहारदिवारी में ही सीमित रहती थी। इन वर्गों की किसी लड़की के लिए खासतौर से किसी विवाहित स्त्री के लिए घर से बाहर निकलकर कोई उपयोगी लाभजनक काम करना अपमानजनक समझा जाता था और केवल जबरदस्त आर्थिक आवश्यकता या कोई आर्थिक संकट आ पड़ने पर ही समाज इसकी स्वीकृति देता था कि वह अर्थोपार्जन के लिए कार्योजन में आये। इसी कारण जो स्त्रियां नौकरी करती थी, उनको समाज के लोग कहनी–अनकहनी कहा करते थे और मध्यवर्ग की ज्यादातर कामकाजी स्त्रियां या तो विधवा या तलाकशुदा या ऐसी होती थी जिनको आर्थिक सहायता देने वाला या सहायता देने की इच्छा रखने वाला उनका अपना कोई नहीं होता था।

जब मध्य वर्ग की स्त्रियों ने सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक कानूनी कारणों से नौकरियां करनी शुरू की तब भी उनसे यही अपेक्षा की जाती थी कि वे ऐसी ही नौकरी या धन्धे में जायें जिन्हें समाज उनके लिए 'सम्मानजनक' मानता था और ये नौकरियां या पेशे थे अध्यापिका के और बाद मे ंडॉक्टर के, जो उनमें से अधिकांश स्त्रियां अपनाती रही हैं। पुरुषों के साथ बैठकर दफ्तरों में काम करना, खासतौर से क्लर्कों के रूप में काम करना अत्यन्त 'असम्मानजनक' माना जाता था और जो स्त्रियां ये नौकरियां करती थी उन्हें नीची नजर से देखा जाता था और ऐसा करने से उन्हें हतोत्साहित किया जाता था।

अगस्त 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ये परिवर्तन और भी

तीव्र गति से हो रहे हैं तथा भारतीय नारी अपनी परम्पराबद्ध स्वाभाविक विशेषता से मुक्त होने लगी। स्वतन्त्र भारत में महिलायें आज अधिकाधिक संख्या में वैतनिक एवं लाभपूर्ण व्यवसायों और काम–धन्धों में आने लगी हैं। इस देश में समाज की निम्न वर्ग की औरतें तो हमेशा से मजदूरी करती रही हैं, किन्तु उच्च वर्गों की महिलाएं अधिकतर अपने घरों तक ही सीमित रही हैं। स्वतन्त्र भारत में अब वे महिलायें घर की चहारदिवारी से निकलकर उन धन्धों में जा रही हैं जिनपर अब तक पुरुषों का अधिपत्य था। यह एक अपूर्व घटना है और एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत की विशेषता भी है।

भारत में समाज के मध्यवर्गीय कामकाजी महिलाओं के इस नये उभरते हुए वर्ग के विकास में कई तत्वों और शक्तियों का योगदान रहा है। भारतीय नारी की सामाजिक–आर्थिक स्वतन्त्रता उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों का एक परिणाम होने के साथ–साथ एक साधन भी रही है। शिक्षित भारतीय नारी की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बारे में हाटे द्वारा किये गये एक शोध से यह ज्ञात होता है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था और वैयक्तिक सामाजिक दर्जे में गहरे और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उनके निष्कर्ष यह बताते हैं कि ''जीवन की विभिन्न समस्याओं के प्रति भारतीय नारी के बदले दृष्टिकोण ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके तौर–तरीकों को भी प्रभावित किया है।'' नारी की सामाजिक स्थिति के प्रति बदले रूप के बारे में बताते हुए श्रीमती नीरा देसाई लिखती है ''अब नारी को न तो मात्र बच्चा जनने की एक मशीन और न घर की एक

दासी ही माना जाता है। उसने एक नया दर्जा, एक नई सामाजिक महत्ता प्राप्त कर ली है। राजगोपाल ने कहा है ''महिलाएं धीरे–धीरे यह महसूस करने लगी हैं कि इंसान के रूप में उनका भी एक निजी व्यक्तित्व भी है तथा उसके जीवन का लक्ष्य मात्र अच्छी पत्नियों और समझदार मां बन जाने से पूरा नहीं हो जाता बल्कि वे यह भी मानने लगी है कि वे सबकी नागरिक समुदाय और संघटित समाज की समस्या हैं।''

शिक्षित कामकाजी पत्नियों की संख्या में वृद्धि की इस प्रत्यक्ष घटना की मुख्य प्रेरणा के मूल में उनकी बढ़ती आर्थिक आवश्यकता है, जिससे कि उन्हें पारिवारिक आय में सहयोग देना होता है। विवाह चूंकि मात्र शून्य में एक आध्यात्मिक गठबन्धन नहीं अपितु दो प्राणियों का मिलन भी है, जिन्हें रोटी, कपड़ा एवं निवास के साथ–साथ अन्य सभी भौतिक पदार्थ भी अनिवार्य रूप से चाहिए। अतः आर्थिक संकट की स्थिति में परिवार के लिए आवश्यक आर्थिक साधन जुटाने में पत्नी का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। विवाहित महिलाओं के काम करने के प्रति भी समाज का रवैया बदल गया है।

चन्द्रकला हाटे21 ने बहुत सारे अध्ययन कार्योजित महिलाओं पर किया है। इन्होंने अपने प्रथम अध्ययन में बम्बई के शिक्षित कार्योजित महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक अवस्था का अध्ययन किया है तथा दूसरा अध्ययन इन्होंने हिन्दू महिलाओं की सामाजिक अवस्था पर की है। तथा तीसरा अध्ययन हिन्दु महिलाओं और उनके भविष्य पर किया है। इनके

अनुसार महिलाओं के कार्योजन में आने से व्यक्तित्व और आर्थिक स्तर पर परिवर्तन आया है तथा विभिन्न समस्याओं के प्रति भारतीय नारी के बदले दृष्टिकोण ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके तौर–तरीकों को भी प्रभावित किया है। इन्होंने बताया है कि भारतीय महिला के स्वतन्त्रता के बाद राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इन्होंने बाम्बे, पूना, नागपुर और सोलापुर में रहने वाली भारतीय महिला तथा उन्नति करती हुई देश की महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इनका कहना है कि मुख्यतः काम करने वाली महिला परिवार को सहारा देने के लिए कार्य करती है। महिलाओं की दो अवस्था घर और बाहर में काम की जो भूमिका है उसको वह पूरी तरह स्वीकार नहीं करती हैं। बहुत सी औरतें दुविधा और द्वन्द्व में रहती हैं और एक अपराध से ग्रसित हो जाती हैं। भारतीय महिला इस उलझे हुए स्वरूप को एक निश्चित धारा देने के लिए बहुत से सुझाव दिये हैं।

कुछ मान्य अध्ययन में विवाहित महिलाओं और उनकी प्रकृति, मेलजोल, शादी, सास–श्वसुर, पति के गुण, सम्बन्ध विच्छेद, आर्थिक अवस्था के प्रति उनकी प्रवृत्ति क्या है, पर आधारित है। इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया है कि 59 प्रतिशत महिलाओं में केवल 19 महिलाएं काम करती हुई पायी गयी। ये ध्यान देने की बात है कि निम्न श्रेणी की 47.50 प्रतिशत महिलाएं और उच्च श्रेणी की 25 प्रतिशत महिलाएं परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करती है। मध्यम श्रेणी की 6.7 प्रतिशत काम करती है। इन्होंने अपना अध्ययन आदिवासी और जो

आदिवासी नहीं हैं, उन पर किया है। दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं के परिवार नियोजन की प्रवृत्ति, सेक्स आदि के सम्बन्ध में भी अध्ययन किया है।

तारा अली वेग22 ने जो अध्ययन किया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाएं आज अधिकाधिक संख्या में वैतनिक एवं लाभपूर्ण व्यवसायों और काम–धन्धों में आने लगी है। भिन्न–भिन्न क्षमताओं के साथ विभिन्न व्यवसायों में आने वाली इन महिलाओं की बढ़ती संख्या को भारत के किसी भी बड़े नगर के कार्य व्यस्त क्षेत्र में स्पष्टतः देखा जा सकता है। इस देश में समाज के निम्न वर्ग की औरतें तो हमेशा से मजदूरी के लिए काम करती रही हैं, किन्तु उच्च वर्गों की महिलाएं अधिकतर अपने घरों तक ही सीमित रही हैं। स्वतन्त्र भारत में अब ये महिलाएं घर की चहारदिवारी से निकलकर उन धन्धों में आ रही हैं जिन पर अब तक पुरुषों का आधिपत्य था।

पद्मिनी सेन गुप्ता23 ने नये क्षेत्र के बारे में जो मूल्यवान अध्ययन किया है, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इन्होंने काम करती हुई महिलाएं, फैक्टरी में, लादानों में, खेतों में और अन्य क्षेत्रों में व्यवसाय, एजेन्सी तथा बहुत सारे दूसरे संस्थाओं और गवर्नमेण्ट के सर्वे पर आधारित है तथा इसकी ओर इन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन भी किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया है कि विभिन्न आधुनिक मान्यताओं की वजह से नवयुवतियों का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। उन्हें इस बात का एहसास

हो रहा है कि नवयुवतियों को परम्परागत स्त्री क्षेत्र में बंधे रहना, अब ठीक नहीं लगता है। वे अपने वैयक्तिक विकास तथा आत्म सन्तुष्टि के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि स्त्रियों के योगदान का उपयोग करने के लिए शहरों में उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उन्हें तकनीकी तथा अन्य व्यवसायों की उच्च से उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए।

सेनगुप्ता ने अपने अध्ययन के दौरान यह बताया है कि ''उच्च प्रशासकीय पक्षों पर वे केवल कुशल और निष्पक्ष ही प्रभावित नहीं हुई बल्कि उनकी ईमानदारी तथा चारित्रिक निष्ठा का भी लोहा माना गया है। इन्होंने यह भी बताया है कि विभिन्न संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्मिक कल्याण तथा जन सम्पर्क अधिकारियों के रूप में स्त्रियां बड़ी संख्या में प्रवेश कर रही हैं। वे उच्च पदों पर सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। वे आगे बताती है कि हर्ष का विषय है कि जिन सेवाओं में अधिक से अधिक स्त्रियां आ रही हैं। आज भारत में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में अनेक प्रशिक्षित स्त्रियां काम कर रही हैं तथा उन्हें अधिक वेतन मिलता है। दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास आदि महानगरों में महिला वकीलों की संख्या विशेष रूप से बढ़ती जा रही हैं।

बंगाल के विभिन्न जीवन क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति अधिकार तथा उच्च दायित्वों का सेनगुप्ता ने अध्ययन किया। उसमें यह निष्कर्ष पाया गया है कि विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश करने वाली स्त्रियों की संख्या

निःसंदेह बढ़ रही है। फिर भी उसके आधार पर यह कहना कठिन है कि स्त्रियां आसानी से और तेजी से मुक्त हो रही है। एक अध्ययन शिक्षित कार्योजित महिलाओं की समस्याओं पर किया है। बाहर कार्य करने वाली महिलाओं को अपने बच्चों को दूसरे की देखभाल में छोड़ना पड़ता है। जिनसे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे बच्चों की सही शिक्षा अनपढ़ नौकरों के बीच सही ढंग से नहीं हो पाती है।

विमला पाटिल24 ने जो अध्ययन किया है, उसमें यह पाया गया है कि जो उच्च श्रेणी की सफल महिलाएं अपने कार्य में असाधारण उन्नति करती हैं उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाता है। उनके पति दया के पात्र बन जाते हैं। चाहे वह कितनी ही उच्च नौकरी में हो या कितना ही यश उन्हें मिला हो। ऐसी अवस्था में पति–पत्नी एक–दूसरे से दूर होने लगते हैं। बुद्धिमान पति–पत्नी के बीच सम्बन्ध आर्थिक सफलता को लेकर नहीं टूटते हैं, ऐसा कहा जाता है पर ये सिद्धान्त हमेशा सही होते हैं। बहुत सी उच्चकोटि की कार्य करने वाली महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन भी विघटित करती हैं।

काम करने वाली महिलाओं के ऊपर घर को सम्भालने का बोझ और छोटे बच्चों की शिक्षा को देखना पड़ता है। शिक्षा के विकास के कारण घर में पत्नी और मां के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, परन्तु पति और पिता का स्वरूप नहीं बदला है। भारत में जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो काम करने वाली महिलाओं की समस्या आसान हो जाती है। कार्य करने

वाली उच्च कोटि की महिलाओं का कहना है कि ममता और स्नेह को बच्चों के साथ गुजरे हुए समय से आंकना चाहिए।

नरूल उमा नन्दा25 ने अपने सर्वेक्षण से बताया कि मध्यमवर्गीय स्त्रियां अपनी नौकरी के प्रति उभयभावी होती हैं। वह नौकरी इसलिए करना चाहती हैं कि इससे उन्हें आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मिलती है तथा वह परिवार की आमदनी में अपना योगदान कर पाती हैं। फिर भी नौकरी से सम्बन्धित कठिनाईयों तथा पति एवं बच्चों की सुख–सुविधा का ध्यान होने से वह नौकरी करना पसन्द भी नहीं करती, क्योंकि इसके कारण उन्हें मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि उचित शिक्षण और प्रशिक्षण के अभाव से भी स्त्रियां अपने व्यावसायिक जीवन में सफल नहीं हो पाती हैं। इन्होंने जिन स्त्रियों का अध्ययन किया था उसमें से 45 प्रतिशत ने यही राय जाहिर की थी कि उनकी सफलता के पीछे व्यावसायिक अवसरों के प्रति उनकी अनभिज्ञता तथा मार्गदर्शन का अभाव भी है। शिशुओं की देखभाल करने वाली कल्याण संस्थाओं के अभाव की वजह से भी स्त्रियां अपने व्यावसायिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाती तथा उन्हें प्रायः निराशा ही हाथ लगती है।

के0पी0सिं026 ने अपने अध्ययन पंजाब से यह पाया कि 25 प्रतिशत कार्योजित महिलायें पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। 75 प्रतिशत अपने घर, बच्चों पर सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उनका दिन का सारा समय

घर के बाहर ही व्यतीत होता है, जो महिलाएं आर्थिक अभाव एवं जरूरत के कारण कार्य करती हैं। वे बुरी तरह से असन्तुष्ट हैं। क्योंकि उन्हें बच्चों और घर के लिए कुछ समय लग जाता है। इन महिलाओं को लगता है कि उनके गैर हाजिरी में उनके बच्चों की उपेक्षा होती है। ऐसा तब होता है जब उनके बच्चे छोटे होते हैं या उनकी उचित देखभाल नहीं हो पाती है। 57 प्रतिशत कार्य करने वाली महिलाओं ने अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था किया है। या तो वे अपने बच्चों के लिए मां, सास या नौकर की देखभाल में छोड़ जाती है। ऐसा बहुत पढ़ी–लिखी और ज्यादा कमाने वाली महिलाओं के घर में ही होता है। जहां कोई व्यवस्था नहीं होती वहां बच्चे बड़े होते हैं जो व्यवस्था खुद कर सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिलाएं अपने मन से कार्य करती हैं, वे अपने बच्चों को नौकर के ऊपर छोड़ जाती हैं। इनमें से बहुत कम ऐसी महिलाएं होती है, जो बच्चों को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ती है।

इनका कहना है कि कामकाजी महिलाओं का घर एवं बाहर का दोनों कार्य मिलकर दुविधा एवं उलझन पैदा करता है। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र रहने के लिए या किसी कार्य से अपना लगाव होने पर यह बाहर काम करती हैं। कुछ लोग परिस्थितियों से विवश होकर भी कार्य करते हैं, जिनका कहना है कि उनका बाहर का काम उनके बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के बीच में पड़ता है।

विनीता श्रीवास्तव27 ने अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षित उच्च पदों

पर काम करने वाली तथा आर्थिक रूप से स्वावलम्बी स्त्रियों में भी व्यावसायिक तथा बौद्धिक क्रियाशीलता के लिए आवश्यक प्रेरणा और लगन का अभाव है। इसकी वजह से उन्हें अपने व्यवसाय से सम्बन्धित विस्तृत ज्ञान की जानकारी नहीं हो पाती है। फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं हो पाता। इसकी वजह से उनका अपने व्यवसाय के लोगों से सम्पर्क भी नहीं हो पाता है। अपनी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में यह स्थिति उनके विरूद्ध काम करती है।

कला रानी 28 ने जो अध्ययन किया है वह विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण है। कैसे कार्योजित महिलाएं अपने घर और बाहर की जिम्मेदारी को निभाती है और कैसे दोनों अवस्थाओं के कारण द्वन्द्व उत्पन्न हो जाते हैं? ज्यादातर महिलाएं पुरानी अवस्थाओं पर जोर देती हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि आवश्यकताओं के दबाव में आकर जिन महिलाओं ने कार्योजन अपनाया है ये सबसे अधिक द्वन्द्वग्रस्त होती है। ऐसी महिलाएं घर एवं बाहर के कार्यो के सही ढंग से न होने पर भी सन्तुष्ट रहती है। जहां पर महिलाएं घर पर सहारा देने के लिए कार्य करती हैं, वे बच्चों की हिफाजत, शिक्षा तथा घर के कार्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। जहां पति–पत्नी दोनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो वहां भूमिका द्वन्द्व कम होगा। परन्तु जहां पति–पत्नी परम्परागत जीवनयापन करते हों, वहां भूमिका द्वन्द्व अधिक होगा।

संयुक्त परिवार से आने वाली कार्योजित महिलाओं में भूमिका द्वन्द्व

अधिक होता है क्योंकि बजाय सहयोग के परिवार में खींचा–तानी अधिक होता है और परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा उनका स्तर काफी ऊँचा होता है। इस प्रकार देखा जाता है कि संयुक्त परिवार वाले कार्योजित महिलाओं की समस्याओं को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं। पत्नियों के कार्योजन से वैवाहिक सुख व मतैक्य का आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। बहुत से पति अपने पत्नी के कार्योजन पर गर्व करते हैं। ये लोग घर का कार्य करने में हाथ बंटाते हैं और पत्नी के घर के कार्यों से सन्तुष्ट रहते हैं। बहुत ही कम पति शक्की मिजाज के होते हैं। 88 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का विचार है कि उनके कार्य से उनके वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसी जगह काम करती हैं जहां अधिकतर महिलाएं ही है, पुरुष नहीं। ऐसी परिस्थितियों में वैवाहिक समस्यायें बहुत कम हो जाती है तथा पति और पत्नी सामंजस्य रहता है।

प्रमिला कपूर29 ने अपने अध्ययन में बताया है कि आर्थिक लाभ की ही वजह से स्त्रियां नौकरी नहीं करती बल्कि इसके पीछे अन्य दूसरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है जैसे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना, अपने लिये उच्च दर्जा प्राप्त करना, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होना, लोगों से मिलने–जुलने की स्वतन्त्रता प्राप्त करना, घर की चहारदिवारी के उबने वाले वातावरण से राहत पाना, समाज के लाभार्थी काम करना, अपने विशेष व्यवसाय के प्रति मोह, अपना मनचाहा पेशा अख्तियार करने की भावना की पूर्ति आदि। इस शोध कार्य का उद्देश्य इस बात की जानकारी प्राप्त करना है कि नौकरी की वजह से

शिक्षित स्त्रियों के दैनिक जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं उसके बावजूद भी वे अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में किस हद तक सामंजस्य और खुशहाली बनाये रखने में सफल रही है। दाम्पत्य जीवन के सामंजस्य को प्रभावित करने वाले तथ्यों, उनकी प्रासंगिकता तथा महत्व का पता लगाना तथा जिस तरह वे प्रभाव डालते हैं उसका विश्लेषण करना शोध कार्य का दूसरा उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक दर्जे तथा आर्थिक स्तरों वाली और शिक्षण कार्य में, कार्यालयों में तथा डॉक्टरी पेशों में एवं नर्सिंग कार्य में लगी 100 महिलाओं का अध्ययन किया।

कपूर30 के अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति परिवार के अन्य सदस्य और यहां तक कि समाज भी यह चाहता है कि लड़की, पत्नी तथा बहू नौकरी करें, क्योंकि इससे परिवार को आर्थिक तथा स्वयं उन्हें कुछ लाभ मिलता है। कपूर के अपने अध्ययन के दौरान अनेक महिलाओं ने बताया कि स्वयं अर्जित धन को खर्च करने का उन्हें अधिकार नहीं है। उन्हें अपनी सारी आय पति अथवा सास–ससुर को देनी पड़ती है और जहां औरतों ने अपने अर्जित धन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की, वहां कलह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि पति अथवा परिवार का सदस्य होने के बावजूद भी उसे स्वतन्त्रता नहीं, न ही उसके पति अथवा सास–ससुर उनका कोई विशेष ध्यान रखते हैं।

कपूर31 के अध्ययन से पता चलता है कि शहरों के मध्यक्ति परिवारों की शिक्षित कामकाजी महिलाओं के बीच विशुद्ध रूप से तय किये

हुये विवाह और खालिस प्रेम विवाह दोनों के प्रति नापसन्दी का रूख दस वर्षों में बहुत हद तक उभरा है। अब वे ऐसे आधुनिक ढंग से तय किये हुए विवाह और बुद्धियुक्त अथवा पूरा हिसाब–किताब लगाकर किये गये प्रेम–विवाह को पहले की अपेक्षा अधिक पसन्द करती हैं जिनमें माता–पिता और भावी युगल की हार्दिक सहमति वांछनीय और अनावश्यक मानी जाती हो। इन्होंने अपने दूसरे अध्याय में कार्योजित महिलाओं के दृष्टिकोणों का निम्नलिखित मुद्दों में आंका है–

1. विवाह की अवधारणा
2. विवाह की आवश्यकता
3. विवाह का उद्देश्य
4. वैवाहिक जीवन से प्रत्यारूप
5. अन्तर्जातीय अन्तर्क्रान्ति विवाह
6. विवाह का स्वरूप
7. विवाह के समय उम्र
8. जीवन साथी के आयु में अन्तर
9. जीवन साथी के चुनाव की वरीयता
10. पति–पत्नी के सम्बन्धों के प्रकार
11. विवाह विच्छेद और तलाक
12. तलाकोपरान्त पुनः विवाह
13. जीवन साथी के मरणोपरान्त विवाह।

दस वर्षो के अन्तराल में लेखिका पांच सौ महिलाओं के साक्षात्कार में यह पाया कि महिलाएं केवल गृहणी और माता की भूमिका तक सन्तुष्ट रहना नहीं चाहती हैं। वह बाहरी वातावरण में आकर अपने आर्थिक, सामाजिक जीवन को उच्च करना चाहती हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षित नवयुवतियों के बदलते हुए दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। इससे स्पष्ट होता है कि इन युवतियों के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रति दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। इनके अध्ययन से यह पता चलता है कि पुरुषों के दृष्टिकोण में उतना अधिक परिवर्तन नहीं आया है, उनके दृष्टिकोण उभयभावी, असंगत और परस्पर विरोधी हैं। उदाहरण के लिए नैतिकता के लिए जो दोहरा मापदण्ड या उसके सम्बन्ध में इस दोहरे मापदण्ड को आपत्तिजनक मानने लगी है। शादी से पहले सेक्स सम्बन्ध अथवा विवाहोपरान्त सेक्स सम्बन्ध के कारण पुरुषों को भी उतना ही हेय मानना चाहिए जितना स्त्रियों को माना जाता है कि ऐसी मांग करने वाली स्त्रियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। शिक्षित नवयुतियां तो यहां तक कहने लगी है कि यदि पुरुष शादी से पूर्व अथवा विवाहोपरान्त सेक्स सम्बन्ध स्थापित कर सकता है तो स्त्रियां भी क्यों नहीं कर सकती हैं।

इन कारणों से कार्योजित महिलाओं के जीवन के दो क्षेत्रों में समायोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है। यद्यपि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पृथक होता है फिर भी अध्ययन के लिए इनकी सीमाओं को सीमित कर दिया गया है। वर्तमान अध्ययन में कार्योजित महिला पुलिस कर्मियों में पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है

और यह देखा गया है कि वे अपने परिवार (सदस्यों के साथ) किस प्रकार समायोजित है। इन दोनों पक्षों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पुलिस एवं पी0ए0सी0 : उद्भव, विकास (ऐतिहासिक परिचय) –

1 नवम्बर 1858 को लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में भारत के विभिन्न राजाओं–महाराजाओं सुप्रसिद्ध धनिकों, ख्यातानामा बुद्धिजीवियों के सामने जब रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, तब वह यह नहीं जानते थे कि वह अनजाने में आधुनिक भारत के विशाल मानचित्र के नींव रख रहे हैं। इस नींव पर खड़े होने वाले विशाल महल के सुरक्षा के लिये संगठित पहलुओं की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये भारत सरकार ने 17 अगस्त 1860 को एक पुलिस आयोग का गठन किया। श्री एच0एम0 कोल्ट इस आयोग के अध्यक्ष थे, जिनकी सहायता करने के लिए 5 अन्य सदस्य थे। आयोग का मुख्यालय उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में था। पुलिस आयोग ने अपनी संस्तुतियां सितम्बर 1860 में ही भारत सरकार को दे दी।

इन संस्तुतियों के आधार पर भारत का पुलिस अधिनियम 1861 (1861 का पांचवा अधिनियम) अस्तित्व में आया। इस अधिनियम को भारत के गवर्नर जनरल की सहमति दिनांक 22.03.1861 को मिली। इस अधिनियम के अधीन भारत के विभिन्न ब्रिटिश प्रान्तों में आधुनिक पुलिस

संगठन अस्तित्व में आये। 1860 में ही पुलिस आयोग के अध्यक्ष श्री एच0एम0कोर्ल्ट तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रान्त और अवध प्रान्त के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बने। इस पुलिस अधिनियम के अधीन ही युनाइटेड प्राविसेज पुलिस रेगुलेशन्स 1861 का निर्माण हुआ, जिसमें पुलिस अस्तित्व में आयी। 1861 में जमींदारों के लठैतों, आशावल्लमधारी रक्षकों तथा देशी रियासतों के सैनिकों और कोतवालों के अतिरिक्त ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में प्राविंशियल पुलिस, म्यूनिसिपल पुलिस, कैन्टोनमेंट पुलिस, रूरल एण्ड रोड पुलिस, कैनाल पुलिस तथा बरकन्दाज गार्ड सहित सात प्रकार की पुलिस अस्तित्व में थी। बाद में विभिन्न अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए 1890 में उत्तर पश्चिमी प्रान्त व अवध प्रान्त की सरकार ने 6 जून 1890 को एक पुलिस समिति का गठन किया इसके अध्यक्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कार्यकारी सदस्य श्री डबलू काये थे। समिति ने संस्तुति की थी कि भर्ती के समय कानिस्टेबिलों में कोई भेदभाव न किया जाये, लेकिन 6 माह के प्रशिक्षण के दौरान रिक्रूट द्वारा दिखायी गयी योग्यता, क्षमता और आचरण के आधार पर उसे नागरिक पुलिस अथवा सशस्त्र पुलिस की तैनाती हेतु विभाजित कर दिया जाये। सरकार ने यह संस्तुतियां मान ली। यह प्रथा आज भी उ0 प्र0 और उत्तरांचल राज्यों में यथावत प्रचलित है।

1902 में भारत सरकार ने भारतीय पुलिस आयोग का गठन किया। इस कमीशन के अध्यक्ष सेन्ट्रल प्रोविसेज के चीफ कमिश्नर एएचएच फ्रेजर थे। इसके निम्नलिखित सदस्य थे–

1. न्यायमूर्ति केन्डी, बोम्बे हाईकोर्ट।
2. महाराज दरभंगा श्री रामेश्वर सिंह, गवर्नर जनरल की काउंसिल के अतिरिक्त सदस्य।
3. श्री निवास राघव, गवर्नर मद्रास की काउंसिल के अतिरिक्त सदस्य।
4. लेफ्टिनेंट कर्नल जेएएल मान्ट गोमरी गवर्नर पंजाब की काउंसिल के सदस्य।
5. श्री डबलू एन काल्विन वैरिस्टर इलाहाबाद।
6. श्री एसी हैनकिन रियासत हैदराबाद के पुलिस महानिरीक्षक।
7. श्री एच ए स्टूअर्ट मद्रास प्रेसीडेन्सी के पुलिस महानिरीक्षक इस कमीशन के सचिव थे।

आयोग ने अन्य संस्तुतियों के साथ यह भी संस्तुति की थी कि प्रत्येक जनपद में सशस्त्र पुलिस का रिजर्व होना चाहिये, जिसका प्रभावी अधिकारी एक यूरोपियन इंस्पेक्टर हो। इस यूरोपियन इंस्पेक्टर की सहायता के लिये एक यूरोपियन सार्जेन्ट भी हो। इस संस्तुतियों को मान लिया गया और प्रत्येक जनपद में हेड क्वार्टर रिजर्व के रूप में सशस्त्र पुलिस का गठन किया गया, जिसमें प्रायः 100 से 400 तक कर्मचारी हुये थे। थानों पर कार्य करने वाली नागरिक पुलिस के अतिरिक्त, प्रत्येक जनपद में सशस्त्र पुलिस का रिजर्व संगठन तैयार किया गया, जिसका काम था–

1. राजकोष की सुरक्षा।
2. राजकीय अधिकारियों की रक्षा।
3. राजस्व वसूली में मजिस्ट्रेट की मदद।
4. ब्रिटिश सेना आवागमन के रास्तों की सुरक्षा।
5. शासन के सदस्यों की सुरक्षा।
6. बलवा, लोक सम्पत्ति की हानि होने अथवा शांति व्यवस्था की आपातस्थिति होने पर सुरक्षात्मक दायित्व का निर्वाह।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार 1914 में सशस्त्र पुलिस का संगठन बटालियन के आधार पर किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी। जिला पुलिस से 06 राजपत्रित पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में जिलो से आर्म्ड पुलिस के जवान व प्रशिक्षकों को एकत्र कर सशस्त्र पुलिस की एक बटालियन तैयार की गई, जिसका मुख्यालय सीतापुर में रखा गया। जिलों की सशस्त्र के 692 कर्मचारियों ने पुलिस बटालियन में जाने से इंकार कर दिया, फलस्वरूप बिना कोई विद्रोह किये उन्होंने पुलिस से त्यागपत्र दे दिया। इस बटालियन का उपयोग होमरूल आंदोलन को दबाने में तथा अन्य कामों में किया गया। 1919 में युद्ध समाप्त होते ही सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस के लिये समितियों का गठन किया गया। आर्म्ड पुलिस कमेटी की राय थी कि पूर्णतया प्रशिक्षित जवानों की पुलिस बटालियन बनायी रखी जानी चाहिये जिसका नाम मिलिटरी पुलिस कर दिया जाये और जिसमें 1600 जवान माना। पुलिस बटालियन भंग कर दी गयी। सभी सम्बन्धित कार्मिकों को जनपदों को

वापस कर दिया गया।

1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त ब्रिटिश भारत के सभी 10 प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारों का गठन हुआ। सरकार के अधीन विद्यालयों में शिक्षा के पाठों में परिवर्तन से उठे विवादों को लेकर संयुक्त प्रान्त में लगातार हिन्दू–मुस्लिम दंगे हुये। इन दंगों से निपटने के लिये सेना का सहारा लेना पड़ा। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने से सेना युद्ध के मैदानों में चली गयी, फलस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिये 1940 में यूनाइटेड प्राविन्सेज मिलिट्री पुलिस का गठन किया गया। इसमें 06 कंपनियां थीं, लेकिन इसकी जनशक्ति 1250 कर्मचारियों की थी। नवम्बर 1940 में लखनऊ में वार्षिक सेरीमोनियल पुलिस परेड के दौरान इस बल के जवानों ने भी हिस्सा लिया। संयुक्त प्रान्त के चार परिक्षेत्रों के लिये एक–एक कंपनी रिजर्व, एक कंपनी केन्द्रीय रिजर्व और एक कंपनी ट्रेनिंग रिजर्व रखी गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1941 में इस बल को स्थायी किया गया और इसमें आंसू गैर स्क्वायड भी सृजित किया गया। 1943 में मिलिट्री पुलिस में 13 कंपनियां हो गयी जिससे इस बल की संख्या 1620 हो गयी। बल की कंपनियां प्रायः एण्टी डकैती और एण्टी राइट कर्तव्य में लगायी जाती थी और कई बार इन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त मेलों, त्योहारों तथा सेना के संचालन के दौरान उनकी सुरक्षा में लगाया जाता था। इस बल के सेनानायक को प्रशासकीय सेनानायक कहा जाता था। इस बल का मुख्यालय सीतापुर में

स्थापित किया गया, जहां सेना की युनिटें हट जाने के कारण भारतीय सेना से 817 एकड़ जमीन प्रान्तीय सरकार ने ढ़ाई लाख रूपये में क्रय की। यह क्रय 1939 में हुआ था और 1941 में प्रान्तीय सरकार ने कब्जा लिया। यह मिलिट्री पुलिस संयुक्त प्रान्त के पुलिस निरीक्षक के केन्द्रीय रिजर्व के तौर पर काम करती थी, जिसकी कंपनियां जन आंदोलनों से प्रभावित क्षेत्रों में रखी जाती थी।

1941 में स्पेशल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी का गठन किया गया, जिसका काम रेलवे लाइनों और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के किनारे टेलीग्राफ प्रणालियों की सुरक्षा एवं विदेशियों के इन्टर्नमेन्ट कैम्पों की सुरक्षा था। स्पेशल आर्म्ड कान्सटेबुलरी की 93 बटालियनों का गठन किया गया था, जिसमें प्रत्येक की जनशक्ति 862 कर्मचारियों की थी। 14 फरवरी 1942 को यूनाइटेड प्रोविंसेज स्पेशल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट लागू किया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ते राजनैतिक प्रभावों से दूर एक अनुशासित सशस्त्र पुलिस बल का गठन करना था। 1942 के मध्य तक इस बल की संख्या 03 बटालियनों से बढ़ाकर 08 बटालियन कर दी गयी, जिसकी कुल जनशक्ति 5945 हो गयी। सीधी भर्ती के अलावा काफी जवान जिला पुलिस से भी लिये गये थे। एसएसी के प्रथम कमाण्डेन्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जीडी ब्रायन्ट थे, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कमाण्डेन्ट कहा जाता था। एसएसी पर आपरेशन नियंत्रण सेना का था। एसएसी वाहिनियों के मुख्यालय निम्नवत् थे–

क्र0 सं0	वाहिनी	मुख्यालय
1	प्रथम	फैजाबाद
2	द्वितीय	फैजाबाद
3	तृतीय	इलाहाबाद
4	चतुर्थ	आगरा
5	पांचवी	देहरादून
6	छठवां	रूड़की
7	सातवां	अलीगढ़
8	आठवीं	मुगलसराय
9	नवीं	मुरादाबाद
10	दसवीं	आगरा
11	ग्यारहवीं	सीतापुर
12	बारहवीं	.....
13	तेरहवीं	सीतापुर

संयुक्त प्रान्त सरकार के गृह विभाग के आदेश दिनांक 19 सितम्बर 1944 द्वारा श्रीजीए पीयर्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। जिसे पीयर्स समिति कहा जाता है। इस समिति का काम संयुक्त प्रान्त के पुलिस का पुनर्गठन करने हेतु आवश्यक अध्ययन एवं संस्तुति करना था। इसी उद्देश्य से 12 दिसम्बर 1944 को सरहक इंग्लिस तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक बैठक इलाहाबाद में हुई, जिसमें श्रीपीयर्स के साथ अन्य 13 अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस समिति ने मिलिट्री पुलिस एवं एसएसी को समाप्त करके एक सम्मिलित बल के गठन

की संस्तुति की जिसका नाम प्राविंशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी रखने का सुझाव दिया। इस कान्स्टेबुलरी का मुख्यालय सीतापुर में रखने इसे 303 राईफलों, स्वचालित शस्त्रों, हैण्ड ग्रेनेड वायरलैस आदि से सुसज्जित करने की संस्तुति की गयी, और यह भी सुझाव दिया गया कि परिक्षेत्र के पुलिस उपनिरीक्षक के आधीन इस कान्स्टेबुलरी की 5–6 कंपनी उनके सीधे नियंत्रण में रखी जाय। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद बल की छटनी प्रारम्भ हुई। इसी सातवीं वाहिनी अगले वर्ष 1946 में छठवीं तथा पांचवी वाहिनी 1947 में चौथी वाहिनी को भंग कर दिया गया। जनपदीय पुलिस से लिये हुये कर्मचारी अपने गहन के जनपदों को वापस कर दिये गये।

दिनांक 23.01.1947 को सर सीताराम की अध्यक्षता में एक दूसरी पुनर्गठन समिति बनाई गयी। जिसमें 8 सदस्य थे। समिति इस मत की थी कि मिलिट्री पुलिस और एसएसी को भंग करके प्रांविशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी का गठन किया जाना चाहिये। समिति में इस बल की संख्या 134 कंपनी से कम न रखने का सुझाव दिया। दिनांक 15.08.1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद संयुक्त प्रान्त की सरकार ने शासनादेश संख्या 55–39–एजाज/आई–144–47 दिनांक 26.09.1947 द्वारा मिलिट्री पुलिस को बटालियनों में गठित करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद संयुक्त प्रान्त की सरकार के शासनादेश संख्या 4980/8 दिनांक 17–12–47 द्वारा बटालियनों में गठित मिलिट्री पुलिस का नाम बदलकर पीएसी कर दिया गया। वर्ष 1948 में 25–6–48 को जारी शासकीय आदेश

द्वारा एसएसी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसकी 09 कंपनियों को भंग कर दिया गया। शेष 15 कंपनियों को पीएसी की दो वाहिनियों को पुनगर्ठित कर दिया गया। इस बल के जवान भारतीय पुलिस एक्ट 1861 के अधीन रखे गये यूनाईटेड प्रोविसेज स्पेशन आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के स्थान पर दी प्रोविंशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट 1948 (1948 का 40वां यूपी अधिनियम) विधान सभा द्वारा 18 अक्टूबर 1948 को विधान परिषद द्वारा 5 नवम्बर 1948 को पारित किया गया। 9 दिसम्बर 1948 को इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति मिली। तथा 13 दिसम्बर 1948 को साधारण गजट में इस अधिनियम का प्रकाशन हुआ और इसी दिन से लागू हुआ। संयुक्त प्रान्तीय सरकार के असाधारण राजपत्र 13 दिसम्बर 1948 के प्रकाशन के बावजूद पीएसी अधिनियम 1948 रामपुर, बनारस, टेहरी, गढ़वाल के देशी रियासतों तथा देहरादून जनपद की जौनसार बावर तहसील तथा जिला–मिर्जापुर के कैमूर क्षेत्र के दक्षिणी भारत पर लागू नहीं था। बाद में इन देशी रियासतों के भारत संघ गणराज्य में विलीन हो जाने पर यह अधिनियम, रामपुर में रामपुर (एप्लीकेशन ऑफ लाज) अधिनियम 1950 के अंतर्गत 30 दिसम्बर 1949 को लागू हुआ। बनारस में बनारस (एप्लीकेशन ऑफ लाज) आर्डर 1949 के अन्तर्गत 30 नवम्बर 1949 को लागू हुआ। टेहरी गढ़वाल में, टेहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन ऑफ लॉज) आर्डर 1949 के अन्तर्गत 30 नवम्बर 1949 को लागू हुआ। 2 सितम्बर 1950 को जिला देहरादून के जौनसार बावर परगना तथा जिला मिर्जापुर के कैमूर रेंज के दक्षिणीभाग में लागू

हुआ।

बाद में 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् प्राविंशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी का 1956 के अधिनियम संख्या 30 द्वारा इसे प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी किया गया। पीएसी एक्ट 1948 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को एक या एक से अधिक कंपनियों के गठन का अधिकार है। इस बल का गठन अत्यन्त द्रुतगामी सचल सशस्त्र रिजर्व के रूप में किया गया था। पीएसी एक्ट में ही यह व्यवस्था रखी गयी थी कि पीएसी के कर्मियों पर पुलिस एक्ट 1861 की धारायें भी लागू होंगी, लेकिन कठोर अनुशासन को देखते हुए गंभीर अपराधों जैसे– वरिष्ठ अधिकारी पर बल प्रयोग, अपनी पोस्ट या गार्द की ड्यूटी छोड़ देना आदि पर आजीवन कारावास की सजा रखी गयी और क्षुद्र अपराधों पर जैसे ड्यूटी पर संतरी का सो जाना, गिरफ्तार किये जाने पर भाग जाना, वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्रता आदि पर 07 वर्ष के कारावास की सजा रखी गयी। पीएसी अधिनियम की धारा 2 (6) के अंतर्गत पीएसी मैनुअल का निर्माण किया गया, जिसमें बल के संचालन के लिये विस्तृत दिशा निर्देश प्रस्तरवार दिये गये हैं। पुलिस अधिनियम 1988 (1888 का अधिनियम संख्या–3) की धारा 3 के अन्तर्गत पीएसी को भारत सरकार उ0प्र0 राज्य से बाहर देश में कहीं भी भेज सकती है।

1948 में पीएसी की 15 वाहिनियां थी, जिनमें कुल 118 कंपनियां थीं। सालभर के अंदर ही पीएसी की कंपनियां घटा दी गयी और केवल

11 वाहिनियां कर दी गयी। मितव्ययिता के चलते वर्ष 1955 में केवल 10 वाहिनियां रह गयी, जिसमें कुल 60 कंपनियां थी। अप्रैल 1956 में 12 अतिरिक्त अस्थायी कंपनियों का गठन किया गया। वर्ष 1958 में पीएसी की जनशक्ति बढ़कर 13 वाहिनियां और 84 कंपनियां हो गई। शीघ्र ही इन कंपनियों की संख्या 93 हो गयी जबकि वाहिनी 13 ही रहीं।

उ0 प्र0 सरकार ने 23 जनवरी 1960 को श्री अजीत प्रसाद जैन संसद सदस्य की अध्यक्षता में उ0प्र0 पुलिस आयोग 1960 का गठन किया गया। इसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सहित 14 सदस्य थे। इस आयोग ने 1 अगस्त 1961 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पीएसी के कुल जनशक्ति के 25 प्रतिशत को प्रशिक्षण के लिये रिजर्व रखने की संस्तुति की। 1962 में 5 वाहिनियों का गठन भारत सरकार ने रिजर्व के रूप में किया। फिर 1963 में चार अन्य वाहिनियों का गठन किया गया। वर्ष 1968 में पीएसी की आयु 21 वर्ष हो गयी। पीएसी की 24 वाहिनियां और कुल 167 कंपनियां कर्तव्यरत थीं। इस वर्ष 04 वाहिनियां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में विलीन हो गयी। वर्ष 1970 में 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा और 31वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर का गठन किया गया।

अपने जन्म के साथ ही पीएसी न केवल प्रान्त में बल्कि उ0 प्र0 से बाहर अन्य राज्यों में निष्ठापूर्वक कार्य करती रही और भारत सरकार का प्रिय सशस्त्र बल रही। वर्ष 1948 में पीएसी की 10 कंपनियां हैदराबाद में 17 कंपनियां कार्यरत थी। 1950 में 05 कंपनियां राजस्थान में ड्यूटी पर

थी। इस वर्ष 02 कंपनियां ग्वालियर भेजी गयी। 04 कंपनियों का एक कन्टीजेंट जम्मू कश्मीर भेजा गया। पीएसी की कंपनियों का उपयोग भारत सरकार ने उक्त स्थानों के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, मणिपुर और दिल्ली में किया। भारत सरकार को यह बल इतना अधिक पसंद था कि वर्ष 1966 में पीएसी की कुल 174 कंपनियों में से 50 कंपनी एक प्लाटून त्रिपुरा, असम, नेफा, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में लगा रहा। वर्ष 1971 में बंग्लादेश युद्ध के उपरान्त कैद किये गये पाकिस्तानी सैनिकों की रखवाली के लिये भारतीय सेना के अतिरिक्त भारत सरकार ने यू0 पी0 पीएसी पर विश्वास किया।

वर्ष 1973–पीएसी का पुनर्गठन :–

1973 में पीएसी को उत्पन्न हुये 25 वर्ष हो रहे थे। यह इस बल का रजत जयंती वर्ष था। भाषा आंदोलनों और अन्य राजनैतिक आंदोलनों के कारण पीएसी का चक्रमण बहुत अधिक होने लगा था, जिससे जवानों का जेब खर्च बहुत बढ़ गया था। पीएसी के जवानों की दो प्रमुख मांगे थी–

1. वाहिनी मुख्यालय से बाहर रहने पर उन्हें एक रूपया जेब खर्च दिया जाय। उल्लेखनीय है कि अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भांति पीएसी कर्मियों को दैनिक भत्ता देने की प्रथा पहले नहीं थी।

2. सर्दी में पहनने के लिये गर्म पैण्ट दी जाये। उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मी जाड़े में भी सूती पैण्ट ही पहनते थे।

इन दो प्रमुख आवश्यकताओं पर निर्णय लेने वाली मशीनरी ने निर्णय लेने में इतनी देर कर दी कि 1973 में पीएसी में कई दुखद घटनायें हुई, जिसके चलते पीएसी की तीसरी, पांचवी, चौदहवीं और उन्तीसवीं वाहिनियों को भंग कर दिया गया और सम्पूर्ण पीएसी का पुनर्गठन करना पड़ा। पीएसी प्रमुख का पद पुलिस उप–महानिरीक्षक, पीएसी, प्रशिक्षण और वायरलैस से उच्चीकृत करके पुलिस महानिरीक्षक स्तर का कर दिया गया। प्रशिक्षण और वायरलैस के कार्य उनसे हटा दिये गये। पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी की सहायता के लिये एक सहायक पुलिस महानिरीक्षक की तैनाती की गई। सेनानायकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक के पद सृजित किये गये। उ0 प्र0 शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 7298/आठ (2)–1100(35) दिनांक 12 अक्टूबर 1973 द्वारा प्रत्येक वाहिनियों में कंपनियों की संख्या समान रूप से सात निर्धारित की गई सिवाय नवीं वाहिनी पीएसी के जिसमें 09 कंपनियां थी और पर्यवेक्षण के लिये एक आईपीएस अधिकारी एक उप–सेनानायक के रूप में तैनात था और वाहिनी का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार के जिम्मे था। प्रत्येक कंपनी में एक बिगुलर के स्थान पर वाहिनी में केवल 03 बिगुल स्वीकृत किये गये। शासन के सदस्यों के निवासों पर पीएसी की तैनाती को अर्जित कर दिया गया। पीएसी के अराजपत्रित कर्मचारियों को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिवस आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति की गई। कालान्तर में पीएसी के कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति

दैनिक भत्ता की स्वीकृति किया गया। वर्ष 1985 में पीएसी वाहिनियों में 07 के स्थान पर 08 कंपनी की जनशक्ति कर दी गई और सेनानायक की मदद के लिये उप–सेनानायक का एक पद भी सृजित स्तर का अधिकारी होता है।

विभिन्न समय पर पीएसी के पर्यवेक्षण अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गयी। अब पीएसी प्रमुख पद पर पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी तैनात है, जिनकी मदद के लिये मुख्यालय पर ही दो पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उप–महानिरीक्षक, पीएसी, दो बलाधिकारी और तीन अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के भी सृजित हैं। शेष वीएसी के पर्यवेक्षण के लिये पुलिस महानिरीक्षक स्तर के 03 अधिकारी और पुलिस उप–महानिरीक्षक स्तर के 9 अधिकारी भी नियुक्त हैं।

पीएसी की समस्यायें :–

पीएसी का जन्म अत्यन्त गंभीर शांति व्यवस्था परिस्थितियों में हुआ था। अपने जन्म के साथ ही इस बल ने पुलिस और सेना के मिले जुले कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। यह जम्मू–कश्मीर जैसे राज्य में एक ही समय में एक साथ आन्तरिक सुरक्षा और सीमान्त सुरक्षा जैसे कर्तव्य पर योजित की गयी। हैदराबाद पुलिस एक्सन एवं तैलंगाना विद्रोहों में इसका उपयोग किया गया। त्रिपुरा और मिजोरम में पीएसी ने पूर्ण कुशलता से काम किया। इस पीएसी ने श्रमिक आंदोलनों, संवेदनशील भाषा हिन्दी आंदोलनों, एण्डी डकैती ड्यूटी के कुशलतापूर्वक कार्य किया।

एक ही तरह के प्रशिक्षण के बावजूद यह बल विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों और विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यरत रहा। पीएसी में भर्ती जवान प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसलिये इस बल का मूल चरित्र भी ग्रामीण है। यह अत्यन्त कम सामान रखने वाला अत्यन्त कम भोजन करने वाला, संतोषी पुलिस बल है। मुरादाबाद दंगों के अतिरिक्त कभी भी इस पर लांछन नहीं लगे। सत्तरोत्तरी दशक में इस बल के चरित्र में परिवर्तन दिखने लगा। 1990 के बाद भर्ती जवानों को निजी आदतें और उनके काम करने के तरीके अध्ययन का विषय है। गैरहाजिरी की मात्रा बहुत बढ़ी है। इन्हें निकटतम पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

बहुत अधिक कर्तव्यरत रहने के फलस्वरूप पीएसी को कई प्रकार के अद्‌भुत संक्रमणों से गुजरना पड़ा।

1. साठोत्तरी दशक के भाषा आंदोलन, श्रम आंदोलनों और शासन के सदस्यों के साथ रहते–रहते पीएसी को जो संक्रमण लगा, उसने 1973 की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ला दी।
2. 1980–81 में मुरादाबाद दंगों में पीएसी की भूमिका की गंभीर आलोचनाओं के फलस्वरूप अगले 3 वर्षों में पीएसी के जवानों ने सुरक्षित भूमिका का निर्वाह करना ही उचित समझा।
3. उ0 प्र0 राज्य में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में पीएसी बलों के लगे होने और बाद में उन्हें मुख्य परिसर से हटा दिये जाने के फलस्वरूप पीएसी जवानों को लगा कि अपने ही राज्य में उन पर

अविश्वास किया जा रहा है, जबकि बाहरी सुरक्षा घेरा में उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पीएसी के एक जवान से अशोभनीय व्यवहार की अफवाह होने के फलस्वरूप पुलिस उप–महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी के साथ अयोध्या में अपमानजनक व्यवहार हुआ।

4. नयी दिल्ली में तैनात पीएसी के जवानों को चारपई का संक्रमण लगा। अभी तक पीएसी के जवान वाहिनी के अंदर तख्त पर और वाहिनी के बाहर जमीन पर सोते थे, जिसके कई शारीरिक, मानसिक, चिकित्सकीय तथा स्ट्रेटेजिक फायदे थे। जब जवानों ने दूसरे बल के लोगों को चारपाईयों पर सोते देखा, वह भी चारपाई ले आये। यद्यपि इन्हें सरकारी मान्यता नहीं मिली, लेकिन अब सम्पूर्ण पीएसी बल में जवान चारपाईयों पर सोते हैं, जिनका रूप और स्वरूप अलग–अलग है। कुछ चारपाइयां बीच से विभाजित होती है, परिणामस्वरूप कई जवानों के स्पेण्डुलाइटिस रोग के लक्षण दिखने लगे है। चारपाइयों के ढोने के लिये वाहन में अधिक जगह की आवश्यकता पड़ने लगी है।
5. पीएसी को कई जगहों पर लंबे समय से कम जनशक्ति में तैनात किया जाने लगा है, परिणामस्वरूप एक जिले में तो ग्रामीण दस्युयों ने पीएसी का पूरा शिविरमय हथियार लूट लिया।
6. पीएसी का व्यवस्थापन वाहिनी के बाहर बहुत अधिक होता है। सम्पूर्ण बल को टेण्टों में रहना पड़ता है, परिणामस्वरूप बल के

सदस्य मानसिक तनाव में रहते है। इसे आपातकाल द्रुतगामी बल के तौर पर उपयोग न करके आपात निरोधक स्थिरबल के रूप में विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसकी समीक्षा किये जाने की आवयश्कता है।

7. बहुत अधिक ड्यूटीरत होने के कारण जवानों को प्राप्त होने वाले अवकाशों पर प्रभाव पड़ता है इससे प्रशिक्षण भी बुरी तरह प्रभावित होता है, इसका कुछ उपाय ढूंढा जाना चाहिये।
8. विभिन्न वाहिनियों में कई जवान असाध्य रोगों से पीड़ित नजर आते हैं ऐसे जवान वाहिनी से ज्यादातर बाहर ड्यूटी पर रहने के कारण बीमार होते हैं। सभी वाहिनियों में एक अस्पताल स्वीकृत हैं, जिसमें एक मेडिकल अफसर, 2 फार्मासिस्ट, 2 अर्दली, चपरासी, 1 भण्डारी, 1 कहार और 1 सफाई नायक भी स्वीकृत है। मेडिकल अफसर प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के सदस्य होते हैं। प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में ही चिकित्सकों की कमी होने के कारण यह पद भी प्रायः अतिरिक्त कार्य के रूप में भरे जा रहे हैं।
9. पीएसी अत्यन्त तीव्रगामी द्रुत सशस्त्र बल है जो प्रायः आपातकालीन परिस्थितियों में तैनात किया जाता है। इसकी तैनातियां दो प्रकार की है–

क) बल्वा, एण्टी डकैती आदि में कंपनी के रूप में तैनाती।

ख) गार्द के रूप में कम जनशक्ति की तैनाती।

प्रथम प्रकार में पीएसी की कंपनियां प्रायः एक दिवस में 12 से 15 घंटा कर्तव्यरत रहती हैं। द्वितीय प्रकार में गार्दो को 24 घण्टे तैनात रहना पड़ता है, जिससे एक जवान को तीन–तीन घंटे के रूप में प्रायः 9 घंटा खड़े रहना पड़ता है। दोनों प्रकारों में एक जवान को विश्राम के लिये प्रायः 6 घंटा ही समय एक दिन में मिल पाता है, जबकि औसतन एक राज्य कर्मचारी 8 घंटे से अधिक का नहीं करता, शेष समय विश्राम में बीतता है। अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पीएसी के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है। पीएसी में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अधिकतम वर्ष आयु 60 वर्ष है। अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक ही कार्यालय में कार्यरत रहते हैं। अपने ही जिले में अपनी ही तहसील में और कई बार तो अपने ही नगर में तैनात रहते हैं। यहां तक कि राज्य विभाग के चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कई अधिक कर्मचारी भी अपने ही जिले में तैनात रहते हैं लेकिन पीएसी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न केवल अपने जिले से बहुत दूर–दूर तैनात होते हैं। यहां से उन्हें प्रायः हर दूसरे–तीसरे महीने फिर हट जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जवान और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोनों को बहुत अधिक शारीरिक, मानसिक, योगिक, मनस्तात्रिक, फिटनेस चाहिये। यह सम्भव नहीं है कि 60 साल का जवान कुशलतापूर्वक सर्तकता से प्रतिदिन 14 घंटा वर्दी पहनकर हथियार लेकर ड्यूटीरत रहे। यह भी सम्भव नहीं है कि 50 या 60 साल का संतरी लगातार तीन घंटे तक खड़े रहकर सर्तकतापूर्वक ड्यूटी दे सकें। यह क्रिया आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों और प्रयोगों के

विपरीत है। ऐसी हालत में पीएसी में केवल 20 से 40 साल के आयु के जवानों को ही रखा जाना समीचीन है। चूंकि अर्धिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है अतः पीएसी में अधिवर्षिता की आयु को कम किये जाने की आवश्यकता है। ऊपर अंकित बिन्दुओं का अध्ययन करने के बाद अधिवर्षिता आयु की कमी को निर्धारित किया जा सकता है। पहले भी राज्य सरकार की इच्छा पीएसी में अर्धिवर्षित आयु को कम करने की रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 अक्टूबर 1973 के अपने आदेश संख्या 7298/पाठ(2)–1100(35)/1973 दिनांक 8 नवम्बर 1973 में इस पर विचार किया था, लेकिन उस समय इसे भविष्य के लिये टाल दिया गया था। शासन ने अंकित किया था कि पीएसी फोर्स को सक्रिय बनाये रखने के लिये सेनानिवृत्ति की आयु को कम किया जाना आवश्यक होगा। इस पर बाद में विचार किया जायेगा। अब जबकि राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो गयी है और पीएसी पहले की अपेक्षा अधिक कर्तव्यरत रहने लगी है तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का समय आ गया है।

7. विभिन्न वाहिनियों में गुल्म नायक से सेना नायक तक विभिन्न पदों पर अधिकारियों की लगभग 40 प्रतिशत की कमी है, इस कमी को दूर करने के लिये उपाय किया जाना चाहिए।

समस्याओं के समाधान के उपाय :–

1. राज्य में 31 वाहिनियां है, जिनमें सेनानायक के सभी पद भारतीय

पुलिस सेवा के हैं और अन्य राज्यपत्रित पद प्रान्तीय पुलिस सेवा के है इन पदों पर तैनात होने में प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारी रूचि नहीं दिखाते हैं। अतः पीएसी में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की सीधी भर्ती होनी चाहिए, जो कंपनी कमाण्डर और सहायक सेनानायक दोनों के कर्तव्यों का पालन कर सकने में सक्षम हो। पहले परिवहन विभाग में परिवहन अधिकारी और होमगार्ड में जिला समादेष्ठा होमगार्ड भी प्रान्तीय पुलिस सेवा के ही अधिकारी तैनात होते थे, लेकिन पुलिस कोई भी उपाधीक्षक वहां जाना नहीं चाहता था। बाद में इन दोनों विभागों में राजपत्रित पदों पर लोक सेवा आयेाग ने सीधी भर्ती की, परिणामस्वरूप दोनों विभागों की दशा और दिशा सुधर गई है। इसी तरह पीएसी में भी यदि प्रतिवर्ष 10 पुलिस उपाधीक्षक सीधी भर्ती से लिये जाये तो आने वाले 10 वर्षों में प्रत्येक वाहिनी में पुलिस उपाधीक्षक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जायेंगे। जो केवल पीएसी के लिये ही भर्ती किये गये होंगे, इनमें से कोई भी न तो पीएसी के बाहर जाना चाहेगा और न ही उसे जिला पुलिस में तैनाती का कोई लालच होगा। इससे पीएसी के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार होगा।

2. पीएसी के जवानों और पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी पर्याप्त चिकित्सा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जरूरी है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा पर निर्भरता समाप्त किया जाय। सभी जनपदों में एक पुलिस चिकित्सालय तथा सभी वाहिनियों में भी

एक पुलिस चिकित्सालय उपलब्ध है। जिसमें एक चिकित्सक, दो फारमास्टि, दो वार्ड व्वाय, एक भण्डारी, एक सफाई नायक की स्वीकृति है। यह सभी तैनातियां मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद के अधीन होती हैं। शायद ही कभी किसी पुलिस चिकित्सालय में तैनाती पुरी हो क्योंकि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा स्वयं ही चिकित्सकों की कमी से जुझ रही है अतः प्रान्तीय चिकित्सा सेवा से अलग उत्तर प्रदेश पुलिस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का गठन होना चाहिए और प्रत्येक पुलिस चिकित्सालय में एक काय चिकित्सक, एक शल्यक, एक दन्त शल्यक, एक नेत्र विशेषज्ञ, एक महिला चिकित्सक तथा अन्य सहायक स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए।

3. पीएसी का एक स्वतंत्र भण्डार होना चाहिए ताकि सामानों की आपूर्ति सही ढंग से हो सके।
4. पीएसी में आधुनिकतम फायरिंग रेंज कोई नहीं है। प्रत्येक पुलिस उप महानिरीक्षक सेक्टर के अधिकार क्षेत्र में एक आधुनिकतम चांद मारी प्रक्षेत्र का होना अनिवार्य है ताकि सही समय से चांद की जा सके।
5. पीएसी जवानों का मनोबल बनाये रखने तथा उनकी कार्यकुशलता को गति देने के लिये जरूरी है कि कुछ ऐसी नीति अपनायी जाय जिससे संतोषजनक सेवा अभिलेख वाले पीएसी कर्मियों को प्रायः 9 साल के अंतर पर पदक प्राप्त हो जाये। यह पदक ही उनकी सेवा की स्वीकृति होते हैं।

6. पीएसी के अत्यधिक ड्यूटीरत रहने का मूल कारण जनपदों की अपराध निरोधक एवं शांति व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पीएसी को सावधानी बरतने के लिये स्थित गार्ड के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे पीएसी की कुशलता कम हो जाती है। ज्यादातर पुलिस अधीक्षकों को तत्काल एकमुश्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है लेकिन उनके पास अपना रिजर्व सशस्त्र बल कम होता है। इसलिए आवश्यक है कि जनपदों में हेडक्वार्टर सशस्त्र रिजर्व में बढ़ोत्तरी किया जाय। यह बढ़ोत्तरी पिछले 20 वर्षों में वृद्धिगत कर्तव्यों को दृष्टिगत रखकर स्थायी और गार्डों के रूप में हो सकती है। साथ ही पुलिस अधीक्षक के कान्टीजेन्सी रिजर्व और इमरजेन्सी रिजर्व में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। जैसे कई जनपदों में पुलिस अधीक्षक के कांटीजेन्सी रिजर्व के तौर पर केवल एक हे0का0नी0 चार का0नी0 ही स्वीकृति है, जो बहुत कम है। यह स्वीकृति कम से कम 4 हे0का0नी0 15कानी0 की होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार अधिक भी। इसी तरह यातायात पुलिस में भी बढ़ोत्तरी की स्वीकृति होनी चाहिए। तभी पीएसी की कंपनियों को प्रशिक्षण के लिए वाहिनि मुख्यालय पर भेजा जा सकता है।
7. जनपद में सदैव सशस्त्र पुलिस की ही आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्यादातर मामलों में निशस्त्र नागरिक पुलिस की ही आवश्यकता होती है। लेकिन नागरिक पुलिस की मात्रा भी बहुत कम है। जनपद

में किसी एक क्षेत्र में अधिक नागरिक की आवश्यकता होने पर मजबूरन पुलिस अधीक्षक को दूसरे क्षेत्रों में काम बंद करके नागरिक पुलिस भेजने पड़ते हैं, ऐसी स्थिति में जरूरी है कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक थाने में नागरिक पुलिस का एक कानी0 इमरजेन्सी रिजर्व के तौर पर स्वीकृत किये जाये। प्रत्येक चार कानी0 पर एक के0हानी0 और प्रत्येक चार या पांच हे0कानी0 पर एक उ0नि0 भी स्वीकृत किया जाना चाहिए। ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधीक्षक प्रत्येक थाने में एक कानी0 बिना उस थाने की कार्यप्रणाली में हानि पहुंचाये एकत्र कर सके, जैसे कानपुर महानगर में 36 थानों में से प्रत्येक थाने पर एक कानी0 स्वीकृत होगा। इन 36 कानी0 पर 9 हे0 कान0 स्वीकृत होंगे और 9 हैकानी और 36 कानी किसी भी समय अचानक जिले के किसी एक क्षेत्र में भेज सकते हैं, जिसके लिये वह अभी पूरी तौर पर पीएसी पर निर्भर है। इसी तरह प्रत्येक थाने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र का भी शिविर इमरजेंसी रिजर्व स्वीकृत होना चाहिए। ताकि परिक्षेत्र के किसी एक जिले में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र के जिलों को कोई हानि पहुंचाये बिना संकटग्रस्त जनपद को लगभग 150 कानि0 30 हे0कानि0 और 10 उपनिरीक्षक प्रदान कर सकते हैं। प्रायः इस तरह के पुलिस बल की आवश्यकता जुलूसों, त्यौहारों, मेलों, वीआईपी, ड्यूटी और राज्याध्यक्षों के आगमन के समय रहती है।

7:2 उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 1467 थाने हैं। इन 1467 थानों पर

प्रत्येक थाने पर एक कानी0 के हिसाब से 1467 कानी0 की आवश्यकता होगी। चार पर एक पर्यवेक्षण अधिकारी के अनुरूप 367 हे0कानि0 एवं 92 उ0प0 की आवश्यकता होगी। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट सिविल इमरजेंसी रिजर्व के रूप में कुल 92 उपनिरीक्षक 367 हे0कानि0 1467 कानि0 के पद स्वीकृत करने होंगे। इतनी ही मात्रा के पद रेंज, सिविल इमरजेंसी रिजर्व के रूप में स्वीकृत करने होंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में थानों और जिलों में नागरिक पुलिस के जो भी पद स्वीकृत हुये हैं, वे शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए केवल अपराध निरोधक एवं निगरानी के लिये ही स्वीकृत हुये हैं, शेष काम सशस्त्र पुलिस के जीमें है। जबकि अब सूचना क्रान्ति सामाजिक जागरूकता राजनैतिक हस्तक्षेप, भौतिकवाद, संगठित गिरोहों के अपराध अपराधियों की योजनाबद्ध रणनीति के चलते जिला पुलिस के जिम्मेदारियों बहुत बढ़ गयी है। इन जिम्मेदारियों को देखते हुए नागरिक पुलिस की जनशक्ति स्वीकृत नहीं है। अपराध निरोध के लिये स्वीकृत पुलिस बल ही अपराधियों को न्यायालय से कारागार और कारागार से न्यायालय लाता व ले जाता है। कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, कि कोतवालियों और थानो ंपर उनकी सुरक्षा के लिये भी पुलिस बल आवश्यक है। सभी 1467 थानों पर एक हे0कानि. चार कानि0 केवल उनकी सुरक्षा के लिये स्वीकृत किया जाना चाहिए।

8. जनपदों में पुलिस के अधिष्ठानों के पर्यवेक्षण का सम्पूर्ण

उत्तरदायित्व जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक के ही जिम्मे है, जबकि पुलिस अधीक्षक के उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। सेना पर 400 जवानों पर मेजर रैंक का एक एकजुटेंट होता है, जबकि पीएसी में इसी काम के लिये 900 जवानों पर एक पुलिस उपाधीक्षक होता है। अतः विभिन्न जनपदों 700 से अधिक पुलिस कर्मिकों को पर एक पुलिस उपाधीक्षक अधिष्ठान का पद स्वीकृत होना चाहिए। इसी तरह जिन जिलों में पुलिस कार्मिकों की संख्या 3000 है, वहां चार पुलिस उपाधीक्षक अधिष्ठान पद स्वीकृत होने चाहिए और चार पुलिस उपाधीक्षकों पर एक अपर पुलिस अधीक्षक अधिष्ठान का पद स्वीकृत होना चाहिए। जनपदों की स्थिति इतनी खराब है कि पुलिस कर्मियों की छुट्टी का अभिलेख रख पाना मुश्किल हो रहा है। कई कर्मचारियों के विरूद्ध होने वाली विभागी कार्यवाही वर्षों से लंबित रहती है। फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी न केवल वेतन से बल्कि प्रोन्नति आदि लाभों से वंचित रह जाते हैं। कई बार तो कई कर्मिकों को जीपीएफ का हिसाब नहीं मिल पाता। जनपदों में स्वीकृत पुलिस उपाधीक्षक केवल अपराध, निरोध एवं निगरानी के लिये है, अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये नहीं।

9. पीएसी और जिला कार्यकारी बल कि कार्यकुशलता अन्योन्याश्रित है। दोनों को पूरी तौर पर अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों ही संगठनों में सेवारत पुलिसकर्मियों को आयु के आधिक्य की स्थिति में कम आयु के लोगों का काम करना पड़ता है। अधिक आयु में

पुलिस कार्मिक की कार्यकुशलता घटने लगती हैं। पिछले 10–15 वर्षों में पुलिस की काम करने की परिस्थितियों में अद्‌भुत परिवर्तन आया है। बढ़ती सूचना क्रान्ति, भौतिकवाद, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के चलते पुलिस कर्मियों को बहुत अधिक व्यस्त रहना पड़ रहा है। अतः इन सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर एक नवीन पुलिस आयोग के गठन का समय आ गया है।

उत्तर प्रदेश, स्वतंत्रता पूर्व, उत्तरी पश्चिमी प्रान्त, के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रान्त में कलकत्ते में काम कर रहे 1860 पुलिस आयेाग की संस्तुतियां प्राप्त होने से पूर्व ही पुलिस का गठन कर लिया गया था। प्रान्त में प्रथम पुलिस महानिरीक्षक के नियुक्ति नवम्बर 1860 में की गई थी। उस समय इस प्रान्त में 7 परिक्षेत्र थे जिस पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये गये थे। जिलों के लिये सहायक पुलिस अधीक्षक भी रखे गये। 6 पुलिस उपमहानिरीक्षकों के पद बाद में सृजित किये गये। उस समय प्रान्त में 39 जिले थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में प्रान्तों का पुनर्गठन किया गया और इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। फलस्वरूप प्रदेशीय पुलिस का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस पड़ा।

उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव सुर्खियों में स्थान प्राप्त करती रही है। अपने गौरवपूर्ण एवं निन्दनीय कार्यकलापों के फलस्वरूप एवं यह सदैव यश और अपयश दोनों की भागीदार रही है।

क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से देश के बड़े प्रदेशों में से एक होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस संगठन देश के अन्य पुलिस बलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां सन् 1861 में वार्षिक परेड का आयोजन किया गया था, तब से इस परंपरा का निर्वाह प्रादेशिक पुलिस आज निरंतर करती आ रही है।

सन् 1947 के पश्चात् कानून, वर्दी, पद और कैडर के वितरण में कई संशोधन हुए है। संख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश पुलिस चौथे स्थान पर और श्रेष्ठता के रूप में बंबई के पश्चात् इसका स्थान आता है। वर्ष 1952 में सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रध्रानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को कलर प्रदान किया गया जो कि राज्य पुलिस के अत्यन्त सम्मान की बात थी। तत्पश्चात् अन्य राज्यों की पुलिस ने इस मार्ग का अनुशरण किया। उत्तर प्रदेश के पश्चात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, आंध्रप्रदेश कनार्टक और पश्चिम बंगाल की पुलिस भी यह सम्मान प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों और प्रोन्नति के सम्बन्ध में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। जिसमें यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक कान्सटेबुल सेवानिवृत्ति तक निरीक्षक के पद तक तीन प्रोन्नति पाने के योग्य है। उपनिरीक्षक को निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक को पुलिस अधीक्षक एवं उच्च पदों तक

प्रोन्नति प्रदान की जायेगी, और अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को क्रमशः पुलिस महानिदेशक पद तक प्रोन्नति किया जायेगा। प्रदेशीय पुलिस में सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 1960 एवं 61, 1970–71 में प्रदेश में दो बार पुलिस आयोग गठित किये गये।

राज्य की पुलिस को प्रादेशिक पुलिस सेवा कहते हैं किन्तु इसे पहचानने के लिये प्रत्येक प्रदेश इनके नाम से पहले अक्षर को लेकर जोड़ता है जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस को उ0प्र0पु0 के नाम से जाना जाता है जो धातु के ढ़ले हुये बैच के रूप में कमीज के कंधे पर लगाये जाते हैं।

महिला पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण :–

आज समाज में महिला पुलिस की विशिष्ट भूमिका बन रही है। बाल अधिनियम, महिला एवं बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार, भिक्षुक अधिनियम एवं कमजोर वर्गों के लिये बनाये गये विभिन्न अधिनियमों को भली भांति क्रियान्वित करने और संदिग्ध महिला अपराधियों की नारी मर्यादा को बनाये रखने हेतु देश ही नहीं वरन् समस्त विश्व में महिला अपराधियों के लिये महिला पुलिस की आवश्यकता ही नहीं वरन् एक अनिवार्यता हो चुकी है। विश्व के समस्त प्रगतिशील देशों में महिला पुलिस कार्यरत है। 1845 में न्यूयार्क शहर में विश्व में प्रथम महिला पुलिस की भर्ती की गयी। वर्ष

1938 में जनपद कानपुर में श्रमिक अशांति हो गई थी। जिसमें महिलाओं ने हड़ताल व धरने में भाग लिया था। इस सम्बन्ध में शासन ने एक दर्जन महिला आरक्षी भरने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें बिना प्रशिक्षण की महिला कर्मचारियों से काम लिया गया। हड़ताल समाप्त होने पर उक्त महिला कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिये गये। वर्ष 1952 में प्रयोग के तौर पर जनपद लखनऊ में एक सब इंस्पेक्टर एवं दो मुख्य आरक्षियों के पद सृजित किये गये किन्तु बाद में उक्त पद भी समाप्त कर दिये गये। वर्ष 1964 में एक सब इंस्पेक्टर तथा दो मुख्य आरक्षियों के पद अभिसूचना विभाग में स्वीकृत किये गये। वर्ष 1966 में जनपद मेरठ के लिये एक मुख्या आरक्षी एवं चार आरक्षियों के पद महिलाओं के लिए सृजित किये गये। 1974 में उत्तर प्रदेश शासन में महिला पुलिस के नियमित गठन के आदेश दिये। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 ने महिला पुलिस की अनिवार्यता को अनुभव किया और पुलिस में महिलाओं की भर्ती किये जाने की संस्तुति की। इसके उपरान्त से आज देश के लगभग सभी प्रदेशों में महिला पुलिस किसी न किसी रूप तथा संख्या में देखने को मिल ही जाती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अलग से भर्ती नहीं किया जाता है और न ही कोई अलग से महिला पुलिस नामक शाखा है वरन् सामान्य भर्ती के समय कुछ निर्धारित अनुपात एवं आवश्यकतानुसार महिला पुलिस

की भर्ती की जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में राजपत्रित एवं अराजपत्रित, भारतीय पुलिस सेवा, प्रादेशिक पुलिस सेवा, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षी सभी पदों पर महिलायें कार्यरत है। यही नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछेक शाखाओं को छोड़कर अधिकांश शाखाओं में महिला पुलिस नियुक्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जिन महत्वपूर्ण शाखाओं में महिलायें नियुक्त नहीं है वे हैं, अग्निशमन सेवा और पीएसी। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महिला पुलिस के विषय में अनेक सुझाव दिये हैं। पुलिस अन्वेषण कार्य, नगर क्षेत्र में किशोर अपराध निरोध के रूप में, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, मजदूर बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी, गरीबों की बस्ती में महिला पुलिस से गश्त कराई जा सकती है। यह न केवल अपराधी बालक एवं महिलाओं को ढूढेंगी बल्कि जनता से सम्पर्क स्थापित करेंगी तथा महिला एवं बाल यात्रियों का मार्गदर्शन कर सकती है। स्कूल, बाजार मेला, त्यौहार तथा अन्य ऐसी स्थितियों में जहां महिलायें बड़ी संख्या में आती जाती है। यहां भी महिला पुलिस लगाई जा सकती है। महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने में भी महिला पुलिस का उपयोग किया जा सकता है।

सारिणी संख्या– 1.1

उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बल

संख्या	पद				
	इंस्पेक्टर	सब–इंस्पेक्टर	हेड कान्सटेबिल	कान्सटेबिल	
	03	159	384	2172	पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत पुरुष वर्ग से समायोजन द्वारा
	03	03	03	1614	अष्टम वित्त आयोग के माध्यम से स्वीकृति
	03	288	03	600	उ0प्र0 के 13 जनपदों हेतु समायोजन से भरे जाने हेतु स्वीकृत पद
	33	102	39	39	13 थानों हेतु स्वीकृत नवीन पद
	03	30	45	336	तीन धार्मिक स्थलों क्रमशः अयोध्या, वाराणसी

					और मथुरा की सुरक्षार्थ स्वीकृति
योग	**45**	**579**	**474**	**476**	

सारिणी संख्या–1.2

उत्तर प्रदेश के तीन धार्मिक स्थलों की सुरक्षार्थ स्वीकृत पदों का विवरण

धार्मिक स्थल	सब–इंस्पेक्टर	हेड–कान्सटेबिल	कान्सटेबिल
वाराणसी	09	54	153
मथुरा	09	15	126
अयोध्या	12	09	57
योग	30	45	336

सारिणी संख्या–1.3

महिला थानों की संख्या, जनपदों, जहां पर महिला थानें हैं तथा उनके लिए स्वीकृत पदों का विवरण

क्र0	जनपद का नाम	पदवार स्वीकृत नियतन				जनपद के नियतन से समायोजन द्वारा		
		निरीक्षक	उ0 नि0	हे0 का0	का0	उ0नि0	हे0का0	का0
1	आगरा	3	3	9	3	27	3	54
2	इलाहाबाद	3	3	9	3	24	3	36
3	झांसी	3	3	6	3	24	3	24

4	लखनऊ	3	3	9	3	33	3	74
5	फैजाबाद	3	3	9	3	33	3	74
6	बरेली	3	3	9	3	33	3	30
7	मुरादाबाद	3	3	6	3	24	3	12
8	अल्मोड़ा	3	0	3	3	24	3	12
9	मेरठ	3	3	9	3	33	3	36
10	पौडीगढ़वाल	3	0	6	3	21	4	12
11	गोरखपुर	3	3	9	3	33	3	36
12	वाराणसी	3	3	9	3	33	3	36
13	कानपुर	3	3	9	3	33	3	74
14	गाजीपुर	3	3	9	3	27	3	54
15	चन्दौली	3	3	6	3	24	3	24
16	मिर्जापुर	3	3	9	3	33	3	44
17	संत रविदास नगर (भदोही)	3	3	9	3	33	3	36
18	सोनभद्र	3	3	6	3	24	3	12
19	जौनपुर	3	3	9	3	33	3	48
	योग	**57**	**51**	**142**	**57**	**549**	**58**	**818**

सारिणी संख्या– 1.4

उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस का जनपदवार स्वीकृत नियतन

क्र0	जनपद का नाम	निरीक्षक	उ0नि0	हे0कां0	कां0
मेरठ जोन **मेरठ परिक्षेत्र**					
1	मेरठ	4	57	12	237
2	बागपत	3	3	3	3
3	गाजियाबाद	3	12	9	84
4	गौतमबुद्ध नगर	3	3	3	3
5	बुलन्दशहर	3	9	6	51
	योग	**16**	**84**	**33**	**378**
सहारनपुर परिक्षेत्र					
6	सहारनपुर	3	4	9	84
7	मुजफ्फरपुर	3	6	9	84
8	हरिद्वार	3	3	3	3
गढ़वाल परिक्षेत्र					
9	टिहरी गढ़वाल	3	4	4	36
10	उत्तरकाशी	3	3	4	36
11	चमोली	3	3	4	36
12	पौड़ीगढ़वाल	3	6	9	69
13	देहरादून	3	6	9	72
14	रूद्रप्रयाग	3	3	3	3
	योग	**18**	**25**	**33**	**252**
मेरठ जोन का योग		**43**	**122**	**87**	**801**
गोरखपुर जोन **दवीपाटन परिक्षेत्र**					

15	बहराइच	3	3	6	48
16	गोण्डा	3	3	6	48
17	श्रावस्ती	3	3	3	3
18	बलरामपुर	3	3	3	3
	योग	**12**	**12**	**18**	**102**
गोरखपुर परिक्षेत्र					
19	गोरखपुर	4	27	12	186
20	कुशीनगर	3	4	3	3
21	देवरिया	3	4	6	48
22	महराजगंज	3	4	3	3
	योग	13	39	25	237
23	बस्ती	3	3	6	48
24	सिद्धार्थ नगर	3	3	3	3
25	सन्तकबीर नगर	3	3	3	3
	योग	**9**	**9**	**12**	**54**
गोरखपुर जोन का योग		**35**	**60**	**55**	**393**
कानपुर जोन **कानपुर परिक्षेत्र**					
26	कानपुर नगर	4	69	12	237
27	कानपुर देहात	3	4	3	18
28	इटावा	3	3	6	48
29	फतेहगढ़	3	3	9	84

30	औरैया	3	3	3	3
31	कन्नौज	3	3	3	3
	योग	**19**	**85**	**36**	**393**
आगरा परिक्षेत्र					
32	आगरा	4	57	12	201
33	अलीगढ़	3	4	9	84
34	एटा	3	3	6	48
35	फिरोजाबाद	3	3	3	3
36	मैनपुरी	3	4	6	48
37	मथुरा	3	12	24	210
38	हाथरश	3	3	3	3
	योग	22	86	63	597
कानपुर जोन का योग		**41**	**171**	**99**	**990**
लखनऊ जोन **लखनऊ परिक्षेत्र**					
39	लखनऊ	4	60	12	237
40	उन्नाव	3	3	6	48
41	रायबरेली	3	3	6	48
42	खीरी	3	3	6	48
43	सीतापुर	3	4	6	48
44	हरदोई	3	3	6	48
	योग	**19**	**76**	**42**	**477**

फैजाबाद परिक्षेत्र					
45	फैजाबाद	4	66	21	282
46	अम्बेडबर नगर	3	3	3	3
47	सुल्तानपुर	3	3	6	48
48	बाराबंकी	3	3	6	48
	योग	13	75	36	381
लखनऊ जोन का योग		**32**	**151**	**78**	**858**
बरेली जोन **बरेली परिक्षेत्र**					
49	बरेली	4	27	12	177
50	बदायूँ	3	3	6	48
51	शाहजहांपूर	3	4	9	84
52	पीलीभीत	3	4	6	48
	योग	**13**	**38**	**33**	**357**
मुरादाबाद परिक्षेत्र					
53	मुरादाबाद	4	9	12	150
54	बिजनौर	3	4	6	48
55	ज्योतिबाफुले	3	3	3	3
56	रामपुर	3	3	9	84
	योग	**13**	**19**	**30**	**285**
परिक्षेत्र					
57	नैनीताल	3	4	9	102
58	पिथोरागढ़	3	3	4	36

59	चम्पावत	3	3	3	3
60	उधमसिंह नगर	3	3	3	3
61	बागेश्वर	3	3	3	3
62	अल्मोड़ा	3	12	6	3
	योग	**18**	**28**	**28**	**150**
बरेली जोन का योग		**44**	**85**	**91**	**792**
इलाहाबाद जोन **इलाहाबाद परिक्षेत्र**					
63	इलाहाबाद	4	33	12	177
64	कौशाम्बी	3	3	3	3
65	फतेहपुर	3	3	6	48
66	प्रतापगढ़	3	3	6	48
	योग	**13**	**42**	**27**	**276**
बाँदा परिक्षेत्र					
67	बाँदा	3	3	6	48
68	चित्रकूट	3	3	3	3
69	महोबा	3	3	3	3
70	हमीरपुर	3	4	6	48
	योग	**12**	**13**	**18**	**102**
झाँसी परिक्षेत्र					
71	झांसी	4	24	12	156
72	ललितपुर	3	3	6	48
73	जालोन	3	3	6	48
	योग	**10**	**30**	**24**	**252**
इलाहाबाद जोन का		**35**	**85**	**69**	**630**

योग					
वाराणसी जोन **वाराणसी परिक्षेत्र**					
74	वाराणसी	4	48	33	342
75	चन्दौली	3	3	3	3
76	जौनपुर	3	4	6	48
77	गाजीपुर	3	3	6	48
	योग	**13**	**58**	**48**	**41**
आजमगढ़ परिक्षेत्र					
78	आजमगढ़	3	4	6	48
79	बलिया	3	3	6	48
80	मऊ	3	3	3	3
	योग	**9**	**10**	**15**	**99**

मुख्यालय और प्रमुख

प्रदेशीय पुलिस का मुख्यालय प्रदेश की भूतपूर्व राजधानी इलाहाबाद में स्थित है। परन्तु पुलिस प्रमुख–पुलिस महानिदेशक का कार्यालय वर्तमान राजधानी लखनऊ में स्थित है। प्रदेशीय मुख्यालय को इलाहाबाद से लखनऊ लाने के काफी प्रयास किये गये परन्तु अभी इसमें आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी है। यथा– अग्निशमन सेवा आदि विभागों के मुख्यालयों का लखनऊ में स्थापित हो जाना। प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के मुख्यालय आज लखनऊ में स्थित हैं और उनके प्रमुख भी लखनऊ में निवास करते हैं। मात्र पुलिस का प्रशासनिक विभाग ही इलाहाबाद में स्थित है।

उत्तर प्रदेश में प्रदेशीय सरकारों के बदलने के साथ ही पुलिस प्रमुख भी बदलते रहते हैं। यथा जनवरी 1967 से अब तक 45 वर्षों में 35 सरकारों ने प्रदेश में शासन किया है– श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री चन्द्रभानु गुप्ता, श्री चरण सिंह, राष्ट्रपति शासन, श्री टीएन सिंह, श्री कमलापति त्रिपाठी, राष्ट्रपति शासन, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री नारायणदत्त तिवारी, राष्ट्रपति शासन, श्री रामनरेश यादव, श्री बनारसी दास, राष्ट्रपति शासन, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र, श्री वीर बहादुर सिंह, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री मुलायम सिंह यादव राष्ट्रपति शासन, श्री मुलायम सिंह यादव, सुश्री मायावती, राष्ट्रपति शासन, सुश्री मायावती, श्री कल्याण सिंह, श्री रामप्रकाश गुप्त, श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति शासन, सुश्री मायावती, श्री मुलायम सिंह यादव और वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती हैं। प्रत्येक मुख्यमंत्री या राष्ट्रति शासन के अधीन राज्यपालों ने पुलिस विभाग पर न केवल अपने विचारों को ही आरोपित किया है वरन् अपनी रूचि के पुलिस प्रमुखों को नियुक्त किया है। वर्तमान समय में इस पद पर श्री बृजलाल सिंह नियुक्त हैं जो कि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कहलाते हैं।

प्रशासनिक संगठन :–

व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस विभाग ने प्रदेश को प्रशासनिक स्तर पर छः जोनों में विभाजित किया है जिसके प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक पद के अधिकारी हैं। प्रत्येक जोन में दो अथवा तीन परिक्षेत्र रखे गये हैं। प्रदेश में इस समय इन परिक्षेत्रों की कुल संख्या 13 है। प्रत्येक परिक्षेत्र

का प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक पद का अधिकारी है। प्रत्येक परिक्षेत्र में अलग–अलग संख्या में कई जनपद है। वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 73 जनपद है। इनमें 33 जनपदों पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा शेष 40 जनपदों पर पुलिस अधीक्षक स्तर का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्यरत है। प्रत्येक जनपद में अलग–अलग संख्या में तहसील एवं थाने है। तहसील स्तर को पुलिस में एक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है जिस पर एक राजपत्रिक अधिकारी नियुक्त होता है जिसे बोलचाल की भाषा में क्षेत्राधिकारी और सीओ (सर्किल ऑफिसर) भी कहते है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग–अलग संख्या में थाने होते हैं। इन थानों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के निरीक्षक और उपनिरीक्षक प्रभारी होते हैं। निरीक्षक पद के थानों पर एक ज्येष्ठ उपनिरीक्षक का भी पद होता है। प्रत्येक थाने में कई पुलिस चौकियां होती है और प्रत्येक पुलिस चौकी के अन्तर्गत बीट अथवा कई ग्राम होते हैं। इन ग्रामों के चौकीदार भी पुलिस की मदद करते हैं। प्रत्येक जनपद में पुलिस प्रभारी ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक का अपना एक कार्यालय, पुलिस लाइन एवं अन्य विभिन्न शाखाओं के कार्यालय होते हैं।

नियतन :–

उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बड़ा बल है जिसमें 1380 पुलिस थाने हैं, जिनकी संख्या में प्रतिदिन आवश्यकतानुसार बृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों से सम्बन्धित विवरण निम्न सारणी में द्रष्टव्य है–

सारिणी संख्या–1.5

दिनांक 31.12.2010 को प्रदेश में नागरिक पुलिस एवं जिला सशस्त्र पुलिस नियतन

क्र0 सं0	पद	स्वीकृति नियतन	
		पुलिस नागरिक	सशस्त्र पुलिस
1.	पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक	652	02
2.	सहायता पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक	1802	2
3.	निरीक्षक / उपनिरीक्षक / सहायक उपनिरीक्षक	17712	624
4.	सहायता उपर निरीक्षक से नीचे के अधिकारी	134580	47678
	योग	154746	48306

उक्त सारणी के अध्ययन से प्रकट होता है कि अधिकारियों तथा नागरिक पुलिस के अन्य पदों की कुल शक्ति 154746 है जिसमें हेड कान्सटेबिल और कान्सटेबिल की संख्या 87 प्रतिशत है, जबकि सशस्त्र पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक से निम्न स्तर की शक्ति प्रदेश के सशस्त्र पुलिस बल की स्वीकृत संख्या का 98 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रदेश में महिला पुलिस शक्ति संख्या दिनांक 31.12.2010 को नगण्य सी थी जबकि इस वर्ग में 53 उपनिरीक्षक और 1390 हेड कान्सटेबिल ही प्रदेश में नियुक्त थी।

स्पष्ट है कि प्रदेश में कुल पुलिस शक्ति का 75.9 प्रतिशत नागरिक पुलिस का स्वीकृत नियतन है और दिनांक 31.12.2010 को प्रदेश में प्रति 600 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल पर मात्र 34.1 पुलिसजन उपलब्ध थे जबकि प्रति

हजार जनसंख्या के पीछे मात्र 0.7 प्रतिशत पुलिसजन्य उपलब्ध थे। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्ष 1989 में अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस की स्थिति 100 वर्गकिमी क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश के समान ही थी परन्तु प्रति हजार जनसंख्या के पीछे अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस की स्थिति 1.4 प्रतिशत थी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदर्शित आंकड़ों से दोगुनी है। प्रदेश में प्रति 100 वर्गकिमी क्षेत्रफल के पीछे रामपुर जनपद में सर्वाधिक पुलिस का घनत्व था।

श्रेणी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पुलिस को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी में भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारी रखे जा सकते हैं, द्वितीय श्रेणी में प्रादेशिक पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक और तृतीय श्रेणी में कान्सटेबिल से लेकर उपनिरीक्षक/निरीक्षक पदों को रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुलिस में चतुर्थकर्मी भी होते हैं, परन्तु उन्हें पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत भर्ती न किये जाने के कारण उन्हें पुलिसकर्मी नहीं माना जाता है। इसी प्रकार पुलिस की विभिन्न शाखाओं में मोटर परिवहन अधिकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, फोटोग्राफ आदि अपुलिसीय अधिकारी/कर्मचारी भी सेवारत है।

प्रदेश पुलिस के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पदों के द्वारा संपादित होने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित हैं–

1. पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक

1861 के पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस महानिरीक्षकों की नियुक्ति राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में की गयी थी, परन्तु स्वतन्त्रता उपरान्त वर्ष 1974 इस पद को पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कर दिया गया है। इसकी स्थिति अभी तक 1861 के अधिनियम के अनुसार समस्त मामले सरकार के साथ कौंसिलर की सी है। 1861 के पुलिस अधिनियम के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक ही वर्तमान समय में पुलिस महानिदेशक कहलाता है और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। पुलिस प्रशासन के इलावा इसका कर्तव्य यह भी है कि वह पुलिस की संख्या, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासनिक कार्यों के लिए समय–समय पर प्रदेशीय सरकार को सम्मति दे। प्रदेश छः जोनों के पुलिस महानिरीक्षकों एवं परिक्षेत्र स्तर पर नियुक्त पुलिस उपमहानिरीक्षकों के माध्यम से जिला पुलिस प्रमुखों से सम्पर्क बनाये रखकर प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी राजनीतिक, आपराधिक, श्रमिक, विदेशी, साम्प्रदायिक घटनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी और उनके नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना प्रदेश सरकार को समय से उपलब्ध कराता है।

2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

प्रदेश में वर्तमान में कई पुलिस शाखाओं के प्रमुख पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक का है यथा– रेलवे पुलिस, पीएसी, प्रशिक्षण आदि। इनका कार्य अपनी शाखाओं के कार्य का नियन्त्रण एवं संचालन करना है।

3. पुलिस महानिरीक्षक

प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा हेतु छः जोनों में बांटा गया है जिसमें प्रमुख रूप में पुलिस महानिरीक्षक को नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक अपने–अपने अन्तर्गत आने वाले परिक्षेत्रों एवं जनपदों के पुलिस अधिकारियों एवं उनके कार्यों का नियन्त्रण एवं संचालन करता है और अपने जोन में होने वाली राजनीतिक, आपराधिक, श्रमिक, छात्र, साम्प्रदायिक, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक गतिविधि के प्रति उत्तरदायी है और उन पर नियन्त्रण करने के लिए अपने अधीन पुलिस अधिकारियों का उचित मार्ग निर्देशन करता है। साथ ही अपने जोन की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी वह पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने जोन के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों (भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर) के स्थानान्तरण एवं उनके अन्य आवश्यक मामलों को निपटाने के लिए सक्षम है और इस सम्बन्ध में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं में भी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को समय–समय पर प्रोन्नत कर उनके प्रमुखों के अधीन पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो कि अपनी–अपनी शाखाओं के प्रमुखों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

4. पुलिस उपमहानिरीक्षक

प्रदेश में 13 परिक्षेत्र हैं और प्रत्येक परिक्षेत्र का प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक होता है जो अपने परिक्षेत्र की पुलिस एवं उसमें होने वाली प्रत्येक घटना एवं गतिविधियों तथा उनके प्रति होने वाली कार्यवाहियों के प्रति उत्तरदायी होता है। पुलिस महानिरीक्षक को जिस प्रकार अपने जोन में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हैं उसी प्रकार पुलिस उपनिरीक्षक को अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त है।

परिक्षेत्र के अतिरिक्त प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं में भी आज अनेक पुलिस उपमहानिरीक्षक पद के अधिकारी नियुक्त हैं जो अपनी–अपनी शाखाओं के विभिन्न सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करते हैं।

5. ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक

प्रदेश के 73 जनपदों में प्रत्येक में आज भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी जनपद प्रभारी के रूप में नियुक्त है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रदेश के 33 जनपदों के प्रभारी ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ओर शेष 40 जनपदों के प्रभारी पुलिस अधीक्षक कहलाते हैं। इन तैंतीस जनपदों में समस्त कवाल नगर भी सम्मिलित है। जिला पुलिस प्रधान का प्रथम कर्तव्य है कि जिले के पुलिस कर्मी ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा न्यायालय और अधिकारियों के आदेशों का

शीघ्रता से पालन हो। वह अधिकारी वर्ष में एक बार जिले के प्रत्येक थाने का स्वयं निरीक्षण करता है अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी जैसे सहायक पुलिस अधीक्षक अथवा क्षेत्राधिकारी द्वारा करवाता है। अपने जनपद में होने वाली प्रत्येक गतिविधि एवं घटना के लिये वह उत्तरदायी होता है और उसकी त्वरित सूचना अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रदेश प्रमुख को उपलब्ध कराता है। जनपद के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण भी यह समय–समय पर कराता है। जनपद स्तर पर यह पुलिस कल्याण के कार्यों को भी देखता है।

6. सहायक पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

जिला पुलिस प्रभारी ज्येष्ठ/पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त, कतिपय नये पुलिस पद भी सृजित किये गये हैं जिन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सहायक पुलिस अधीक्षक कहा जाता है जिन पर भारतीय पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के नये अधिकारी अथवा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक पदोन्नत करके नियुक्त किये जाते हैं। इनका कार्य उनको जिला पुलिस प्रभारी द्वारा आवंटित कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन एवं जिला प्रमुख के सहायक के रूप में कार्य करना है।

7. पुलिस उपाधीक्षक :–

प्रादेशिक पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारी को पुलिस उपाधीक्षक कहा जाता है। ये सीधी भर्ती एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित निरीक्षकों को प्रोन्नति प्रदान कर भरे जाते हैं। इन्हें क्षेत्राधिकारी पुलिस का

मुख्य कर्तव्य, अन्वेषण की निगरानी करना, अपराधों को रोकना एवं पता लगाना, क्षेत्र का अपराध रजिस्टर रखना तथा अधीनस्थ थाना प्रभारियों के कार्य का निरीक्षण करना है। यह अपने क्षेत्र के अपराधों की मासिक आख्या भी पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित करते हैं।

8. निरीक्षक :–

निरीक्षक पहले पुलिस सर्किल के मुख्य अधिकारी होते थे परन्तु 1977 के पुलिस आयोग एवं प्रदेशीय पुलिस आयोग की संस्तुति के अनुसार सर्किल इन्सपेक्टर (निरीक्षक) का पद समाप्त कर दिया गया है तथा इसे पुर्नगठित करके पुलिस स्टेशनों का प्रभारी बनाया गया है। इन पुलिस निरीक्षकों के कर्तव्य इन पुलिस उप निरीक्षकों के समान ही है जो विभिन्न थानों के प्रभारियों के होते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश पुलिस में यह पद पुलिस उपनिरीक्षकों को प्रोन्नति प्रदान कर भरा जाता है।

9. उप निरीक्षक :–

प्रत्येक थाने का प्रभारी भूतकाल में उपनिरीक्षक पद का अधिकारी होता था परन्तु अब धीरे–धीरे इस स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है धीरे–धीरे थानों पर निरीक्षकों को प्रभारी बनाया जाने लगा है। परन्तु अब भी बहुत से थाने ऐसे हैं जिनका प्रभारी आज भी उपनिरीक्षक ही होता है। एक थाने पर कई उपनिरीक्षक होते हैं। ये अपने क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत पुलिस का प्रबंध करते हैं। अपने क्षेत्र की सीमा में होने वाली प्रत्येक वैध–अवैध गतिविधियों की जानकारी रखना और बदमाशों पर निगरानी

रखना इसका दायित्व है। उपनिरीक्षक पद 1902 में पुलिस आयोग की संस्तुति से सृजित किया गया था। इसे सीधी भर्ती द्वारा तथा विभागीय मुख्य आरक्षियों को प्रोन्नति देकर भरा जाता है। थाने के प्रभारी के अतिरिक्त प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर द्वितीय अधिकारी उप निरीक्षक भी होते हैं। उनका मुख्य कार्य उन अपराधों का जो प्रभारी सुपुर्द करें अन्वेषण करना होता है। अन्वेषण का परिणाम एवं आख्या वह थाना प्रभारी को देता है।

10. मुख्य आरक्षी (हेड कान्सटेबिल)

यह प्रोन्नत पद है जो कि कान्सटेबिलों को प्रोन्नति प्रदान कर भरा जाता है। इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं–थाना लेखक के रूप में, थाने के कार्यालय का रक्षक, लेखक और हिसाब रखने वाला एक मुख्य आरक्षक कहलाता है जिसे हेड मोहर्रिर भी कहते हैं। यह अधिकारी रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखता है, हिन्दी रोकड़ बही एवं धन सम्बन्धित अन्य लेख प्रमाण ठीक रखता है। सम्मानों का तमील आदि के आदेश थाना प्रभारी को सूचना देता है एवं गांव चौकीदारों की उपस्थिति अंकित करता है। थाना प्रभारी द्वारा बताये गये कार्यों की लिखा–पढ़ी का कार्य भी यही सम्पादन करता है विशेष अवसरों पर यह पंचनामा लिख सकता है। इसके अतिरिक्त यह चौकी प्रभारी के रूपों में भी कार्य करता है। पुलिस चौकी प्रभारी के रूप में मुख्य आरक्षी का प्रथम कर्तव्य थाना प्रभारी को सूचना देना तथा अनुदेश प्राप्त करना होता है। क्षेत्रीय अपराध और भारी वारदातों की उसे थाना प्रभारी को अविलम्ब

सूचना देनी होती है। अन्वेषण करने का मुख्य आरक्षी को कोई अधिकार नहीं है।

11. आरक्षी (कान्सटेबिल)

पुलिस विभाग में आरक्षी सबसे निम्न स्तर का पद है। इसके द्वारा संतर ड्यूटी, एस्कोर्ट ड्यूटी, डाक, ड्रिल और परेड, अर्दली ड्यूटी, संदेश वाहक ड्यूटी, शस्त्र सफाई, रात्रिगश्त, चौकसी, लाइसेंस की जांच, न्यायालय में जाना, प्रशिक्षण देना, समन व वारंट तामील करना, मोटर वाहन चलाना तथा वायरलेस सेट संचालन, दिन की गश्त, थाना नियंत्रण, शिकायतों की जांच और अधिसूचनाओं के संकलन कार्यों को सम्पादित किया जाता है।

जनसामान्य के साथ सम्पर्क, समाज में होने वाली किसी भी गतिविधि की जानकारी, अपराध जटिल होने अथवा हर प्रकार की वैध और अवैध गतिविधि की प्रथम सूचना एवं सम्पर्क, राजनीतिक, अपराधिक, आतंकवादी, श्रमिक, युवा, छात्र, आंदोलन, धार्मिक गतिविधियों के होने पर पुलिस के जिस वर्ग का सर्वप्रथम सम्पर्क होता है वह है थाना स्तर का स्टाफ सर्वप्रथम किसी भी घटना के घटित होने पर कार्यवाही करता है। इस स्टाफ की कार्यवाही एवं कार्यकलापों का सीधा सम्बन्ध जनसाधारण से रहता है और प्रभाव भी जनसामान्य पर परिलक्षित होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि देश में पुलिस की छवि अधिकतर उस स्टाफ से बनती है जो थाना स्तर पर कार्य करता है। कान्सटेबुलरी इस स्टाफ का

अधिकांश भाग होता है और सम्पर्क पुलिस ढांचे का आधार यही है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा कांन्स्टेबुलरी के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति निम्न प्रकार है– देश में पुलिस व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए तथा कान्स्टेबुल को जनता के साथ पड़ने वाले कार्यों में नैतिक मूल्यों को समझाते हुए विवेक और स्वनिर्णय से काम करने वाले जिम्मेदार कर्मचारी बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि मौजूदा प्रणाली को तत्काल बदल दिया जाये ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

1. कान्स्टेबुलरी के केवल मात्र यांत्रिक प्रकार के कार्य करने वाला संवर्ग नहीं समझा जाना चाहिए जैसा कि 1902 के पुलिस आयोग ने कल्पना की थी। उनकी भर्ती तथा प्रशिक्षण इस प्रकार से होने चाहिए की उन्हें ऐसे कार्यों पर भी लगाया जा सके जिनमें किसी स्थिति में जनता के सहयोग की परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समझ–बूझ और विवेक से काम करना और निर्णय लेना अपेक्षित है।
2. कान्सटेबुल को जांच तथा अन्वेषण कार्य में उपनिरीक्षक को ठोस और सोद्देश्यपूर्ण ढंग से सहायता पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए।
3. उन्हें 5 या 6 वर्ष की अवधि में ऐसे कार्यों का अनुभव प्राप्त कर स्वतंत्र रूप से अन्वेषण का कार्य कर सकने योग्य हो जाना चाहिए और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा सहायक उपनिरीक्षक तथा उससे

ऊपर के पदों तक पहुंचाना चाहिए।

4. पुलिस प्रणाली के भीतर पदोन्नति सम्बन्धी नीति को बदलकर युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि कान्स्टेबुल के पद से शीघ्र तथा बराबर पदोन्नति होते रहे। कान्स्टेबुल के लिये पुलिस के कार्य में अपनी योग्यता दिखाते हुए पदोन्नति द्वारा ऊँचे पद तक भी पहुंच जाना सम्भव होना चाहिए।

राज्य सरकार का गृहमंत्री पुलिस विभाग के कार्यों को देखता है और सचिवालय स्तर पर गृह सचिव, विशेष गृह सचिव आदि कई पद सृजित है जो पुलिस विभाग के विभिन्न कार्यों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करके उनमें गृहमंत्री को अवगत कराये हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के अन्य विभागों से अलग अत्यन्त आकार वाला विभाग है। इसमें नित नवीन् शाखायें खुलती हैं और पुलिस विभाग का विस्तार होता रहता है। वर्तमान समय में इस विभाग के निम्न शाखायें विद्यमान हैं–

1. नागरिक पुलिस
2. सशस्त्र पुलिस
3. घुड़सवार पुलिस
4. पीएसी
5. अपराध अनुसंधान विभाग– इसके अन्तर्गत निम्न उपशाखायें हैं–
    1. अपराध शाखा

2. भ्रष्टाचार निवारण संगठन
3. आर्थिक अपराध संगठन
4. राज्य विद्युत परिषद
5. महिला सहायता प्रकोष्ठ
6. विशेष जांच सेल

6. अधिसूचना विभाग
7. रेलवे पुलिस
8. अग्निशमन सेवा
9. पुलिस प्रशिक्षण
10. तकनीकी सेवायें– इसके अन्तर्गत निम्न उपशाखायें कार्यरत हैं–
    1. पुलिस कम्प्यूटर
    2. विधि विज्ञान प्रयोगशाला
    3. पुलिस रेडियो
    4. राज्य मोटर परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र
    5. अंगुलि छाप संग्रहालय
    6. राज्य अपराध सूचना ब्यूरो
    7. यातायात निदेशालय
11. होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा
12. रूल्स एवं मैनुअल शाखा

✵✵✵✵✵

सन्दर्भ सूची (REFERENCES)

1. ऋ0 1–62.5, पलीवन्तो नमस्ये नमस्पन, ऋ0 5.3.2, ऋ0, 5.43.15, तै0 ब्रा0 3.6.5, विद्यालंकार, परिवार मीमांसा।
2. पाणिनी, शिक्षा 52, मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णननोवा, मिष्या, प्रयुक्तो न तमर्थमाह। सा वाग्वजे। यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु खरतो पराघात।। विद्यालंकार, परिवार मीमांसा।
3. So for us education was concerned, the position of women wa generally not unequal to that of men. Prabhu, P.N., Hindu Social Organisation (3rd edition), Bombay, Popular Book Depot (1958),

p. 258

4. गौतम धर्मसूत्र 18.1 अस्वतन्त्रता धर्मे स्त्री, वशिष्ठ 51.3 अस्वतन्त्रता स्त्री पुरुष प्रधान पिता रक्षति कौमारेभर्ता रक्षति यौवनो। रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्रयं क्वचिरिसक्षयः। मनु0 1.146 विद्यालंकार, वही

5. Bai, Rama, "The High Caste Hindu Woman, Quoted by Vidyalankar in Parivar Mimansa, p. 41.

6. "While duiscussing traditional Hindu Wife's roles writes that the sacred and secular writing of Hindus have many more allusions to wife's role than to that of the husband, this indicated that her expected role was more definite and precise than that of the husband. Thus she had more to adhere to a set pattern laid down for her than the husband has to do :

   Srinivas, M.N., "Marriage and Family in Mysore", Bombay New Book Co., 1942, p. 195

7. Hate, C.A. Hindu Women and Her future, New Book Co., Bombay, 1948, pp. 263-272.

8. Hate, op.cit, p. 31

9. Nye, I.P. Hoffman, L.W. The Employment Employed Mother in America, (ed.) Pand Menally and co., Chicago, 1983.

10. Orden, R., and Bradburu, N.M., Working wines and Marriage Happiness, The American Journal of Sociology, Vol. 74, 1968-69.

11. Blood, Robert Jr., Husband-Wife Relationship in the Employed Mother in America, (ed.) by Nye, F. Wan, and Hoffman, I.W.R.

and Menally and Co., Chicago, 1963.

12. Rossi, Alice S., A. Good Women is hard to find, Transaction, Community Leadership Project of Washington University, November-December, 1964.
13. Thompson, Finalyson, A., Married Women who work in Early motherhood, British Journal of Sociology, Vol. 14, 1963.
14. Fagarty, M.P. and Rapopart, D., Sex Career and Family, George Allen and Unwin, London, 1971.
15. Encyclopedia of Social Sciences, Vol. VIII, P. 442.
16. Labour Bureau Report, 1953, p.1
17. Ward, Bardara, Social Change Issues, 1972, p. 61
18. Hate, op.cit, p.162
19. Desai, Neera, Women Modern India, Bombay Vara and Co., Publishers Pvt. Ltd., 1957, p. 253
20. Rajagopal, T.S., Indian Women in the New Age, Mysore, 1963.
21. Hate (Mrs.) C.A., The Socio-Economic conditions of Educated Women in Bombay City, Study prepared in the university school of Economic and Sociology, Bombay, 1930.
22. Beig, Tara Ali, (Chief Ed.), Women in India, New Delhi Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1958.
23. Sengupta, P., Women Woncers of India, Asia Publishing House, Bombay, 1960.

24. Patil, V., In Defence of Women Executives, Times Weekly, Vol.2, No. 49, July 1972.

25. Narula, Uma Nanda, Career Failure Among Women, Social Welfare, May 1967, p. 45

26. Singh, K.P., Career and Family Women's Towards. A Study in Role Conflict, Indian Journal of Social Work, Bombay, Oct. 1972.

27. Srivastava, Vinita, Employement of Educated Married Women, Its Causes of Sociology, Punjab.

28. Rani Kala, Role Conflict in Working women (Ist ed.) Chetna Publications, East Park Road, New Delhi, 1976.

29. Kapur, Pramila, Marriage and the Working Women in India, Vikas Publication, 1970.

30. Kapur, Pramila, The Changing Status of Working Women in India, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1974.

31. Kapur, Pramila, Love Marriage and Sex, Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1973.

32. क्राइम इन इण्डिया (1995), पृ0 329

33. संविधान के प्रथम एवं चतुर्थ संशोधन आदेश 1960

34. लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1988, प्रिन्टडएट प्रकाश पैकेजर्स, 257, गोलगंज, लखनऊ, लेख एन इन साइड व्यू, पृ0 12

35. पूर्वोक्त, पृ0 12

36. पूर्वोक्त, पृ0 12

37. पूर्वोक्त, पृ0 13

38. नेशन पुलिस कमीशन रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट

39. पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।

40. पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।

41. पुलिस मुख्यालय (2002) सरकारी दस्तावेज, इलाहाबाद।

42. उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

43. क्राइम इन उत्तर प्रदेश–1990, स्टेट क्राइम रिकार्ड्स व्यूरो, लखनऊ, पृ0 111–113

44. पूर्वोक्त, पृ0 112–112

45. लखनऊ सिटी मैगजीन, दिसम्बर 1998, पृ0 12

46. नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट, प्रथम, पृ0 15

✵✵✵✵✵